कुरुक्षेत्र

संपादकीय

दहेज का कलंक

दो वर्ष पहले दहेज के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया था उससे ऐसा लगा था कि दहेज का दानव भारतीय समाज से सदा के लिए कूंच कर जाएगा परन्तु कई कारणों से अभियान की गति मन्द पड़ गई और अब स्थिति यह है कि 1978 में अकेले दिल्ली शहर में जो नव विवाहितायें दहेज के दानव का शिकार हुई उनकी संख्या दो सौ बताई जाती है। यदि देश-भर में उपर्युक्त अवधि में हुई ऐसी मृत्युओं का पता लगाया जाए तो उनकी संख्या लाखों पर बैठेगी क्योंकि हमारे समाज का कोई भी अंग इससे अछूता नहीं है ।

सामाजिक बुराइयां आर्थिक बुराइयों के साथ-साथ पनपती हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक भ्रष्टाचार, चोरबाजारी, रिश्वतखोरी तथा तस्करी आदि का जो दौर चला उसी से दहेज, सुरापान आदि सामाजिक बुराइयां भी पनपीं। गांधी जी ने हमें स्वतन्त्रता दिलायी और उनका यह मूलमंत्र था कि साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की पवित्रता आवश्यक है, परन्तु हमने उनके इस मूल मंत्र को भुला दिया और आज हम आर्थिक-सामाजिक बुराइयों के भंवरजाल में ऐसे फंस गए हैं कि उनसे उबरना आसान नहीं लगता।

यह ठीक है कि समाज को इस दूषित कलंक से मुक्ति दिलाने के प्रयासों में सरकार उदासीन नहीं है और इस सम्बन्ध में 1961 में एक दहेज निषेध कानून भी बनाया गया था परन्तु समाज सुधार के शारदा अधिनियम जैसे अन्य कानूनों की तरह यह भी रद्दी की टोकरी में पड़ा रह गया और कारगर ढंग से इसे कभी अमल में नहीं लाया गया। यह भी ठीक है कि सामाजिक कुरीतियां कोरे कानूनों से दूर नहीं की जा सकतीं और इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें लोगों को शिक्षित बनाना ही होगा तथा उनमें दहेज से पैदा होने वाली क्रूरताओं के विरुद्ध चेतना पैदा करनी ही होगी। यह तभी हो सकता है जब प्रचार-प्रसार के हमारे सभी माध्यम इस दिशा में जुट जाएं और लोगों को शिक्षित बनाने के हमारे सभी कार्यक्रमों में इसके उन्मूलन पर जोर दिया जाए। यह खुशी की बात है कि नारी रक्षा समिति तथा महिलाओं की कुछ अन्य समितियां अब इस दिशा में अधिक सक्रिय हैं और विधि मंत्रालय को बाध्य कर रही हैं कि दहेज निषेध कानून में संशोधन कर उसे ऐसा रूप दिया जाए कि दहेज लेने-देने का अपराधी उसके शिकन्जे से बच न सके।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों में दहेज के लेन-देन का सम्बन्ध है, आचरण नियमों में इस सम्बन्ध में कुछ ऐसी व्यवस्था है जिससे सरकारी कर्मचारी तत्सम्बन्धी नियम का उल्लंघन करने पर दण्ड का भागी हो सकता है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस सामाजिक बुराई के प्रति यह एक उचित कदम है परन्तु इसे कड़ाई से लागू करने की जरूरत है क्योंकि शादी के बाजार में सरकारी नौकरी प्राप्त युवक का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक होता है।

हमारे समाज में विवाह एक धार्मिक कर्मकाण्ड है और इसके साथ परम्परा से कुछ ऐसे रस्मोरिवाज जुड़े हुए हैं जिन्हें धार्मिक समझ कर लोग उनसे चिपके रहना चाहते हैं। विवाह के अवसर पर उपहार देना भी एक धार्मिक कृत्य समझा जाता है। वैसे तो यह एक अर्थहीन प्रथा है पर लोग इससे जुड़े रहना ही चाहते हैं तो जरूरी है कि इन उपहारों की संख्या कानूनन निर्धारित कर दी जाए।

इसके अलावा, यह भी जरूरी है कि विवाहों के अवसर पर बड़े-बड़े शामियानों को लगाकर बिजली के रंग बिरंगे प्रकाश और सजावट पर जो अन्धाधुंध खर्च किया जाता है उसे रोका जाए। वास्तव में ये सजावटी प्रदर्शन भ्रष्ट तरीकों से कमाये गए धन का ही प्रदर्शन मात्र है। दौलतमन्द लोग दहेज और सजावट प्रदर्शनों पर होड़ाहोड़ी खर्च करते हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर तो कोई खास बुरा असर नहीं पड़ता, परन्तु खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है और जब मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग अपनी क्षमता से बाहर होड़ाहोड़ी खर्च करते हैं तो उनमें से बहुत से तो जीवन भर के लिए कर्जदार बन जाते हैं और आर्थिक संकट के कारण उनका सारा परिवार नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य होता है। ✱

मज़दूर   मंज़िल

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र, फोटो आदि भेजिए। भाषा सरल हो और रचना का आकार 'कुरुक्षेत्र' के दो-ढाई पृष्ठ से अधिक न हो।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

●

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि और सिंचाई मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

●

दूरभाष : 382406

एक प्रति 50 पैसे — वार्षिक चंदा 5.00 रु०

सम्पादक : महेन्द्रपाल सिंह

उप सम्पादक : कु० शशि चावला
मोहन चन्द्र मन्टन

आवरण पृष्ठ : परमार

चित्र : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सौजन्य से

कुरुक्षेत्र

वर्ष 24 | भाद्रपद-आश्विन 1909 | अंक 11

इस अंक में : **पृष्ठ संख्या**

सहकारी कारोबार : ग्रामों का शोषक या पोषक ? — 2
प्रेम सिंह चौहान

गरीबी और बेरोजगारी का बढ़ता विस्फोट — 6
राजेन्द्र प्रसाद जोशी

जनसंख्या नियन्त्रण व सहकारिता — 8
आर०वी० एल० गर्ग

भूमि उपयोग पद्धति में चारे और चरागाह का स्थान — 10
एस० एन० बख्शी

हमारा कृषि प्रशासन: एक लेखा जोखा — 13
सी० आर० विश्वास

गरीबी से उद्धार कैसे-? — 15
मुरारी लाल सिंहल

अ० भा० फसल प्रतियोगिता : क्या और क्यों ? — 17

हरियाली के दुश्मन : टिड्डी दल — 18
शिवा 'विद्यार्थी'

अन्त्योदय : क्यों और कैसे ? — 20
शशि कान्त भटनागर

भूमि के उचित उपयोग के लिए-वैज्ञानिक दृष्टिकोण — 22
डा० एम० एस० स्वामीनाथन

देवनागरी में तार सेवा के तीस वर्ष — 23
श्री जगन्नाथ

ग्राम विद्युतीकरण के आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव — 25
राम कुमार

पशु विकास का एक अनोखा प्रयास — 27
हरीश कांबले

छठवीं पंचवर्षीय योजना और बेरोजगारी — 29
डा० हेमचन्द्र जैन

मजदूरों के बच्चों का सहारा-मोबाइल क्रैश — 30
नीरा गर्ग

पहला सुख निरोगी काया — 31
वैद्य रघुनन्दन प्रसाद साहु

यमराज भये दामाद तो फिर डर काहे का (कहानी) — 32
सरला जैन

साहित्य समीक्षा — 33

केन्द्र के समाचार — 35

साहूकारी कारोबार : ग्रामों का शोषक या पोषक ?

प्रेमसिंह चौहान

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में साहूकारी कारोबार काफी पुराना और महत्वपूर्ण है। वैसे तो ग्रामीणों को कर्ज देने वाले बहुसंख्यक साहूकार कस्बों और शहरों में रहते हैं क्योंकि एक तो यह गांवों में स्वयं को असुरक्षित समझते हैं और दूसरे इनके अन्य व्यापार भी शहरों में ही चलते हैं। इनके कर्जदार ग्रामीणों के अलावा, शहरी भी होते हैं, लेकिन इनमें अधिक संख्या ग्रामीणों की ही होती है। इनके विषय में बहुप्रचलित धारणा यह है कि साहूकार शोषक हैं और इनके ऋण वसूलयाबी तरीके अत्यन्त कठोर हैं यहां तक कि कभी-कभी ये अमानवीय हो जाते हैं। इनके इस व्यवहार ने साहित्यकारों की चेतना को भी झकझोरा—शेक्सपीयर के 'मर्चेंट आफ वेनिस' का 'शायलाक' इस वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है जिसकी कर्ज देने की शर्त थी कि यदि निर्धारित तिथि पर कर्ज अदा नहीं किया गया तो वह कर्जदार के शरीर से एक पाउंड मांस लेगा। अपनी मजबूरियों से संत्रस्त ऋणी यह अमानवीय शर्त भी स्वीकार कर लेता है। इसी तरह स्व० यशपाल की 'पर्दा' कहानी के पात्र 'पठान' की कर्कशता भी अजीब है। ऐसी और भी कितनी ही घटनाएं दिन प्रतिदिन घटित होती रहती हैं जिन्होंने साहूकार की सामाजिक छवि को विकृत रूप दिया। **इसमें कोई संदेह नहीं कि साहूकारों के हथकन्डे अतिभयावह और स्वार्थपूर्ण होते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि सरकार और समाज के अनेक नियंत्रणों और तिरस्कार के बाद भी आज तक साहूकार और उसका कारोबार क्यों बना हुआ है ?** इससे ध्वनित होता है कि इस कार्य की जड़ें समाज की गहराई में लोगों की **जरुरतों** से जुड़ी हैं और इनका जो चित्र सामने आया है, वह **एकांगी** है। इसी पक्ष को इस **लेख** में उजागर करना हमारा लक्ष्य है ताकि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में कुछ ठोस प्रयास किए जा सकें।

सरकार द्वारा साहूकारी कारोबार के चंगुल से ग्रामीणों को मुक्त कराने के लिए एक ओर इस कारोबार पर प्रतिबंध लगाने के लिए समय-समय पर कानून बनाए गए तो दूसरी ओर इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करने की नीति बनाई गई। इस नीति के अन्तर्गत व्यावसायिक बैंकों को ग्रामीण अंचलों में शाखा विस्तार के निर्देश दिए गए और वर्ष सन् 78 तक हमारे देश में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल 24,000 शाखायें खोल दी गयीं, जब कि सन् 1969 में केवल 8,800 शाखाएं थीं। इन 24,000 शाखाओं में से 8,000 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद विभिन्न व्यावसायिक बैंकों ने राष्ट्रीय नीति के अनुपालन में गांव में अपनी शाखाएं खोलने का व्यापक अभियान चलाया। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीयकरण से पूर्व 1,832 ग्रामीण शाखाओं की संख्या दिसम्बर 1978 तक बढ़कर 8,000 तक पहुंच गई अर्थात् राष्ट्रीयकरण के बाद दिसम्बर 76 तक 6,988 शाखाओं और इस के बाद 2 वर्ष की अवधि में 1,012 और शाखाओं ने गांवों को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। भारतीय रिजर्व बैंक की पिछली वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इन बैंकों ने अपने कुल अग्रिमों का 60 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किया।

सहकारिता आन्दोलन

व्यावसायिक बैंकों के इस सघन शाखा विस्तार कार्यक्रम के साथ-साथ सहकारिता क्षेत्र की भूमिका ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत सराहनीय है। सहकारी बैंक, प्राथमिक साख समिति और ऐसी ही अनेक संस्थाएं गांव में कार्यरत हैं जो ग्रामीणों को नकद कर्ज के साथ-साथ बीज, खाद आदि कर्ज के रूप में उपलब्ध कराती हैं। इसी परम्परा में सहकारी भूमि विकास बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी सम्मिलित करना होगा। 2 अक्तूबर, 1975 को सबसे पहले देश में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए जिन में से 2 उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और गोरखपुर स्थानों पर खोले गए। दांतेवाला समिति के अनुसार इस समय देश में 44 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाएं खुली हुई हैं जो 55 जिलों में अपना कार्य करती हैं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सरकार ने किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए जी तोड़ प्रयास किये हैं और अनेक वैकल्पिक साधन किसानों को ऋण दिलाने के लिए जुटाए हैं। लेकिन फिर भी नीचे दिए हाल ही के एक सर्वेक्षण से प्रकट होता है कि अभी भी कृषक विभिन्न संस्थाओं से ऋण न लेकर साहूकारों का ही सहारा लेते हैं। यह सर्वेक्षण बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले का है।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक परिवार द्वारा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न अभिकरणों (एजेंसियों) से लिए गए औसत ऋण :-

जोत (एकड़) का आकार समूह	साहूकार	सहकारी संस्थाएं	सरकार	अन्य	जोड़	कृषि की धन राशि	फसल वाले क्षेत्र में प्रति एकड़ कृषि ऋण
2.50 तक	643 (92.12)	39 (5.60)	16 (2.30)	— —	698 (100)	236 (34)	66
2.51 से 7.50 तक	887 (90.80)	66 (6.75)	24 (2.46)	— —	977 (100)	370 (38)	55
7.51 से 15.00 तक	1120 (83.60)	70 (5.20)	50 (3.73)	100 (7.47)	1340 (100)	520	44
15.00 और इसके ऊपर	550 (100.00)	—	—	—	550 (100)	383	21
औसत	791 (89.90)	49 (5.57)	23 (2.60)	17 (11.93)	880 (100)	340 (39)	46

टिप्पणी : ऊपर कोष्ठकों में दो संख्याएं जोड़ का प्रतिशत बताती हैं ।

उपर दी गयी तालिका के विश्लेषण से एक तथ्य सामने आया कि आजकल भी सभी प्रकार की आर्थिक स्थिति वाले कृषक साहूकारों से कर्ज लेते हैं । हमारी यह धारणा भी इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष को देखकर डगमगा जाती है कि केवल निर्धन किसान साहूकारों से कर्ज लेते हैं क्योंकि उक्त तालिका में 15 एकड़ और उससे ऊपर जोत वाले किसानों ने अधिक संख्या में अन्य समस्त साख अभिकरणों (एजेंसियों) को छोड़कर साहूकारों से ऋण लिया और इसमें से 70 प्रतिशत ऋणराशि तो कृषक पर खर्च की और शेष 30 प्रतिशत अन्य कार्यों पर। इस से दो बातें स्पष्ट हुईं ।

1. ऋण कृषि के अलावा अन्य कार्यों को भी दिया जाता है ।

2. उत्पादक कार्यों पर व्यय नहीं किया जाता ।

यहां हम उक्त तालिका का अर्थ और स्पष्ट करने के लिए यह उल्लेख करेंगे कि बिहार राज्य में सन् 1904 में सहकारिता साख अधिनियम पारित होने के बाद प्राथमिक कृषि ऋण साख समितियों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई । 1905 में यह समितियां कुल 15 थीं और 1912 तक पहुंचते-पहुंचते इनकी संख्या 530 हो गई फिर सन् 76 तक ये साख समितियां 16.5 हजार तक पहुंच गईं । इसके अलावा, 1912 में 'भारतीय सहकारिता विधान' पारित होने के बाद केन्द्रीय सहकारी बैंकों और गैर सहकारी समितियों का भी तेजी से विस्तार हुआ है । इस के बावजूद महाजनों से ऋण लेने की परम्परा समाप्त नहीं हो सकी ।

प्राचीन भारत में साहूकारी

कहा जाता है कि आधुनिक युग में जनसंख्या की वृद्धि से वस्तुओं का अभाव उनके मूल्य बढ़ जाने और मनुष्यों की आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाने से कर्ज लेने की नौबत आती है । लेकिन यह आज के लिए सच हो सकता है परन्तु साहूकारी की जड़ें उस समय भी हमारे भारतीय समाज में पाई जाती हैं जब कि उपरोक्त परिस्थितियां नहीं थीं ।

इस तथ्य को प्रकट करने के लिए हम साहूकारी कारोबार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देना उचित समझते हैं। "ऋण और ब्याज का लेन-देन ऋषि काल के लोगों के लिए भी सुपरिचित थे।" हालांकि ऋषियों की सादगी हम सब को अच्छी तरह ज्ञात है। पासे के खेल (जुआ का तत्कालीन रूप) में हारने पर कर्ज के करार किये जाते थे। 'ऋण समम्' शब्द का पुराने संस्कृत साहित्य में प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ ऋण शोधन या ऋण अदायगी से है। वैदिक काल में भी ऋण के लेन-देन के प्रमाण जहां तहां मिल जाते हैं। महर्षि मनु ने तो 'मनुस्मृति' में गिरवी और जमाओं पर एक पृथक अध्याय लिखा है—"बुद्धिमान व्यक्ति को अपना धन किसी अच्छे परिवार, अच्छे आचरण, कानूनी ज्ञान सम्पन्न धनी और प्रतिष्ठित संबंधियों वाले व्यक्ति के पास जमा करना चाहिए। (आर्य) "इंस्टीटयूट आफ बैंकर्स के जर्नल (द्वितीय संस्करण), (1881) में उल्लिखित है कि मनु से पहले भी लेन-देन का कारोबार व्यापक रूप में प्रचलित था। इसी तरह गौतम, बृहस्पति और बुद्धायन में ब्याज से संबंधित नियमों का उल्लेख मौजूद है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इस व्यवसाय का संदर्भ मौजूद है। चार्वाकों का 'ऋणं' कृत्वा घृतं पिवेत्' का सिद्धांत प्रायः सभी ने सुना होगा।

प्राचीन काल में साहूकार प्रजाजनों को उनकी निजी जरूरतों को पूरा करने हेतु ऋण देने के अलावा राजाओं को राज्य की योजनाएं पूरी करने तथा लड़ाई के समय उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए ऋण दिया करते थे।

पुराने समय में साहूकारों का प्रभाव प्रजा से लेकर राजदरबार तक छाया रहता था। उस समय भूराजस्व की उगाही नकद न होकर वस्तु के रूप में होती थी, परन्तु सेवकों व सैनिकों के वेतन नकद अदा किए जाते थे। राज्य कोष को साहूकारों पर

इसलिए निर्भर होना पड़ता था क्योंकि उगाही फसल के समय होती थी और वह भी वस्तु के रूप में जिसके बेचने में समय लगता था पर, वेतन प्रतिमाह दिया जाता था। इसके अलावा, आक्रमणों के समय राजा अपने बहुमूल्य आभूषण साहूकारों के यहां जमा कराते थे क्योंकि आक्रमणकारी का लक्ष्य राजा और राजभवन होते थे न कि प्रजाजन। प्रजाओं की लूट का सिलसिला बहुत बाद में शुरू हुआ। इसीलिए साहूकारों को समाज के हर क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा मिलनी स्वभाविक ही थी।

इस व्यवसाय में मुख्य रूप से वैश्य (जिनमें रस्तोगी प्रमुख हैं), आढ़ती, सर्राफ, बड़े किसान और ईसाइयों में यहूदी (ज्यूज़) तथा मुस्लिमों में खान होते हैं हालांकि मुस्लिम धर्म के अनुसार ब्याज लेना निषिद्ध है, पर उक्त वर्ग साहूकारी कारोबार बड़े धड़ल्ले से करता है। कहा तो यहां तक जाता है कि खान भाई की शर्तें और वसूलियाबी का तरीका सर्वाधिक कठोर होता है। इस कारोबार के करने वालों को महाजन, साहूकार और बैंकर शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है।

इस कारोबार का प्रमुख दस्तावेज रुक्का या प्रोनोट होता है जिस पर ऋणी का हस्ताक्षर और अंगूठा लगवाया जाता है। रुक्के में वास्तविक ऋणराशि न लिख उसकी दुगुनी या ढ़ाई गुनी राशि लिखाई जाती है। कहा जाता है, यह कार्य ऋण की वापसी सुनिश्चित करने तथा अदालती झंझटों से बचने के लिए किया जाता है। अदालत जाने पर रुक्के में लिखी रकम जो वास्तविक ऋण की कई गुनी होती है, ऋणी को अदा करनी होगी इसलिए वह ऋण की अदायगी करता रहता है।

कर्ज देने के रूप

1. ऋणी की **व्यक्तिगत जमानत** : इस तरह का कर्ज केवल विश्वस्त, प्रतिष्ठित और पुराने ग्राहकों को ही दिया जाता है।

2. प्रतिष्ठित व्यक्तियों की **जमानत पर** : इसमें ऋणी से रुक्का लिखा कर उस पर किन्हीं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की गवाही ले कर ऋण दिया जाता है।

3. **आभूषण आदि सामान गिरवी रखने पर** : इसमें ऋणी सोने या चांदी के आभूषण अथवा घर के बर्तन आदि गिरवी रख देता है और उन वस्तुओं की तत्समय की कीमत का चौथाई मूल्य कर्जस्वरूप पा लेता है। यह ऋण किसी निश्चित म्याद या अनिश्चित काल तक दोनों रूपों में दिया जाता है। इस पर ब्याज की दर प्रथम दोनों रूपों में दिए कर्ज से कम रहती है, और लिखा पढ़ी की ओर भी कम ध्यान दिया जाता है।

4. **भूमि पर ऋण** : इसमें भूमि को बन्धक या जमानत रूप में लेकर ऋण दिया जाता है। भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा ज्यों का त्यों रहता है, परन्तु उसकी उपज पर साहूकार का हक बन जाता है। आजकल रु० 100/- या रु० 150/- प्रति बीघा की दर से भूमि की जमानत पर ऋण दिया जाता है। इसके अदायगी के दो रूप हैं :—

1. मूलधन के बदले उपज
2. ब्याज के बदले उपज

उक्त दोनों रूपों में कहीं-कहीं प्रभारित भूमि कर्जदार को बटाई पर दे दी जाती है। इससे कर्जदार का कर्ज गुप्त रहता है और उसकी तथाकथित सामाजिक इज्जत अक्षुण्ण रहती है लेकिन कुछ स्थानों पर साहूकार स्वयं भूमि में खेती करता है। इनमें अन्तर यह है कि प्रथम प्रकार में एक वर्ष तक भूमि की उपज साहूकार लेता रहता है और उसके बाद मूल कर्ज अपने आप चुकता हो जाता है जबकि दूसरे रूप में भूमि की उपज ब्याज के बदले लेता है और मूल ऋण राशि अदा करने तक उपज लेने का यह क्रम चलता रहता है।

ब्याज की ऊंची दरें और वसूलयाबी का तरीका : व्यक्तिगत जमानतों पर दिए गए ऋणों पर ब्याज की दरें बहुत ऊंची होती हैं क्योंकि साहूकार पैसा डूबने का खतरा मोल लेता है। ब्याज की दरें स्थान-स्थान पर हर साहूकार की अलग होती हैं। कभी कभी ऋणी की साख के अनुसार भी इनमें घटा-बढ़ी की जाती है। फिर भी हर दशा में ऋण देने वाली संस्थाओं से ब्याज की दरें बहुत अधिक ऊंची होती हैं। यहां नीचे, आमतौर से प्रचलित, ब्याज की दरें दी जा रही हैं :—

1. इकन्नी रुपया प्रतिमाह अर्थात् 75% प्रतिवर्ष
2. सवाया तिमाही अर्थात् 100 का तीन माह बाद 125 रु० यानी 100% वार्षिक।
3. गिरवी में दुअन्नी रुपया प्रति तिमाही अर्थात् 50% वार्षिक साहूकारों की वसूलयाबी के अनेक तरीके हैं :

(अ) स्वयं कर्जदार प्रतिमाह केवल ब्याज दे आए। यह तब तक चलता है जब तक मूलधन भी साथ में न लौटाया जाए।

(आ) स्वयं साहूकार के गुमाश्ते फसल के समय जाकर उस समय तक के सूद की उगाही करते हैं। इसमें गुमाश्ते के रहने व भोजन की व्यवस्था ऋणी के जुम्मे होती है और सूद के साथ खर्ची वसूली जिसमें गुमाश्ते का शुकराना और मजदूरी शामिल रहती है, ऋणी से वसूल किया जाता है।

(इ) विभिन्न शहरों के साहूकारों के आपस में संबंध रहते हैं। यदि ऋणी किसी दूसरे शहर में रहने चला जाता है तो उस शहर के साहूकार को ऋणी का नाम पता व हुलिया पहले वाला साहूकार सूचित कर देता है। इसके बाद दूसरे के गुमाश्ते ऋणी की खोजबीन और वसूलयाबी की कार्यवाही करने लगते हैं। वह ऋण परिवर्तित शहर के साहूकार को अंतरित कर दिया जाता है जिसे वह मूलऋण और अंतरित की तिथि तक के ब्याज की रकम से कम अदा कर खरीद लेता है। फिर दूसरा साहूकार अपनी रकम मय खर्ची वसूलयाबी के वसूल लेता है।

[illegible] ?

1971 की जनगणना के अनुसार देश में 30% खेतिहर मजदूर थे जिन को वर्ष में केवल 200 दिन काम उपलब्ध होता है। इन लोगों के लिये अपने खाने का शेष 165 दिनों का खर्च चलाने के लिए साहूकार की शरण लेनी पड़ती है।

इसी प्रकार भारत की कुल जनसंख्या के 65% लोग कृषि पर आधारित हैं जिसमें वर्ष के एक चौथाई भाग में काम के अवसर होते हैं। शेष भाग बरसात और दोपहरी के रूप में खाली बिताना पड़ता है। इसके अलावा कृषि की आय बड़ी अनिश्चित होती है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि में अनिश्चितता बहुत होती है। पाला, बाढ़, सूखा, फसलों के रोग आदि अनेक कारणोंवश किसानों की आय तथा उनका भविष्य अनिश्चित रहता है। इसके अलावा, परिवार के लोगों की बीमारी, विवाह, जन्मोत्सव, मृत्यु संस्कार तथा धार्मिक तीज-त्यौहार पर व्यय के अनेक अवसर उसके सामने मुंह बाए होते हैं। ये ऐसे कार्य हैं जिनको वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि इन्हें अनुत्पादक कार्य माना जाता है। परन्तु साहूकार के सामने ऋण के उद्देश्य की बाधा नहीं होती, उसके द्वार लोगों के सभी कार्यों के लिए खुले रहते हैं। शादी में जेवर कपड़े खरीदने, या बच्चों के मुंडन के लिए कर्ज साहूकार के सिवा कौन देगा। यह ऋण किसान ही नहीं, नौकरी पेशा और पढ़े-लिखे लोग भी लेते हैं।

किसान को खरीफ ही नहीं रबी की बुआई भी अनेक बार करनी पड़ जाती है। भला बैंक या अन्य कोई संस्था एक ही खेत में कई बार बुवाई के लिए बीज हेतु ऋण द सकता है। नहीं, ऐसा करना उनके नियमों के प्रतिकूल है, लेकिन साहूकार उन्हें इसके लिए ऋण देता है। यह स्थिति न तो काल्पनिक है और न बेईमानी पूर्ण, फिर भी उपेक्षा ऋण संस्थाओं द्वारा की ही जा रही है।

बैंक के पैसे से खरीदा गया बैल अगर दुर्घटना का शिकार हो अपंग हो जाए तो क्या वे पुनः बैल खरीदवाने को ऋण देंगे चाहे, औपचारिकताएं पूरी करने में ही जुताई-बुआई का समय निकल जाए।

साहूकार ऋणी को सुविधा देता है कि वह जब और जितनी रकम चाहे उसके यहां चुकता करने के लिए जमा कर सकता है। इसी तरह आधी रात के वक्त भी वह अपनी बही में दस्तखत करा/अंगूठा लगवा कर रुपया कर्ज दे देता है, जबकि अन्य संस्थाओं में कागजात पूरा कराने का झमेला अनपढ़ किसान के सामने हजार पेचीदगियां पैदा करता है।

कर्ज के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी जुड़ी रहती है। तभी तो इस कार्य के सही आंकड़े जुटाना एक टेढ़ी खीर है। साहूकार गोपनीयता भी बनाए रखता है। वह केवल ऋणी की शाख पर भी रूक्का या बही पर हस्ताक्षर कराकर दे सकता है जब कि सरकारी/सहकारी किसी भी संस्था में जमानतों/गारंटी का बखेड़ा प्रायः बदनामी का स्रोत बनता है। शायद इसीलिए 15 एकड़ से ऊपर की जोत वाले किसानों ने (ऊपर दी तालिका देखिए) कर्ज लेने हेतु इसलिए साहूकार को अपनाया हो।

साहूकार [illegible] को बढ़ाने और उससे लाभ कमाने के अवसर बढ़ाने के लिए वह रुचि लेता है जब कि संस्थाओं में वेतन भोगी कर्मचारी होते हैं, जिन्हें नौकरी प्रथम बात है, शेष सब उसके बाद की।

संस्थाओं द्वारा ऋण वसूली की पद्धति यांत्रिक होती है, यानी अमुक तिथि तक किश्त जमा होनी है, उसकी रकम पूर्वनिश्चित होती है, उसमें घटा-बढ़ा करना बड़ा दुरूह कार्य होता है। और न ही कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसान की आय के समय उस पर तकाजा किया जा सके। इसके विपरीत साहूकार केवल ऋणी की नीयत, अदा करने की भावना देखता है। वह अपने हर कर्जदार के आय के साधन और समय की जानकारी रखता है। आमदनी होने के समय वह तकाजा मौका देख कर कड़ाई या ढिलाई से करता है।

सुधारात्मक/अवरोधक उपाय

सरकार ने आपातकाल में साहूकारी के कारोबार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियमावलि बनायी। इसके अनुसार प्रत्येक साहूकार को जिला वित्त अधिकारी से अपना नाम/फार्म का नाम पंजीकृत कराना अनिवार्य कर दिया गया। इसमें ब्याज की दर प्रतिभूत और अप्रतिभूत ऋणों पर क्रमशः 12 और 16% ब्याज दर निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त समय-समय पर इस कारोबार के निरीक्षण हेतु तहसीलदारों को अधिकार दिया गया।

उक्त विनियमन की सैद्धांतिक रूप से सराहना तो की जा सकती है पर व्यावहारिक रूप से इसके परिणाम अधिक अनूकुल प्राप्त होते प्रतीत नहीं होते। कारण यही कि यह कार्य गोपनीय प्रकृति का है। पीड़ित और उत्पीड़क दोनों ही इसे गुप्त रखने के इच्छुक होते हैं। इसीलिए कुछ लोगों ने अपने बचाव के लिए पंजीकरण कराया तो अवश्य पर सही रिकार्ड कितने लोगों ने रखे, कहना कठिन है।

यह भी सच है कि ग्रामीणों के द्वार पर बैंक पहुंचा कर सरकार ने साहूकारी को जबर्दस्त धक्का पहुंचाया है, पर, आवश्यकता यह है कि ऊपर दी गई परिस्थितियों की ओर भी सरकार अपना ध्यान दे, विशेषज्ञों की राय ले और अर्थव्यवस्था के इस पहलू पर व्यापक सर्वेक्षण करा आंकड़े और इसके कारणों की जानकारी प्राप्त करे, जिसकी ओर अभी बहुत कम ध्यान दिया गया है, उचित समाधान खोजे। ऐसा न करने पर पूंजी का संग्रह चंद लोगों में होता रहेगा, अनौपचारिक बेगार चलती रहेगी, गांव-गांव में जनमत चंद लोगों की मुट्ठी में रहेगा, लोग पिसेंगे और अन्ततः सभी तरह की ताकत यहां तक कि राजनीति पर भी कब्जा इन्हीं लोगों का बना रहेगा जिसके दूरगामी परिणाम भयंकर हो सकते हैं। ✳

प्रेम सिंह चौहान
सहायक हिन्दी अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक

"गरीबी और बेरोजगारी का बढ़ता विस्फोट"

राजेन्द्र प्रसाद जोशी

"मनुष्यों के बजाय रोजगार के अवसरों को रहना चाहिये" ऐसा सर विलियम बेवरिज मानते हैं, उनके इस कथन का अभिप्राय यह है—रोजगार को मनुष्यों की सदा राह देखनी चाहिये, मनुष्यों को रोजगार के अवसरों की राह नहीं देखनी चाहिए, दोनों समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है।

लेकिन भारत के लिए दुर्भाग्यवश बेवरिज का उक्त कथन उल्टे या विपरीत अर्थों में सही है क्योंकि इस देश में लाखों लोग काम की तलाश में पड़े रहते हैं लेकिन रोजगार के अवसर उनकी राह कभी नहीं देखते हैं।

भारत में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसमें बेरोजगार न हो, देश में जो बेरोजगारी के स्थिति है उसकी अब और उपेक्षा नहीं की जा सकती, यह हमारी गरीबी का जीता जागता प्रमाण है। 31 मार्च 1977 को पंजीकृत शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, 1 करोड़ 2 लाख थी। वास्तव में रोजगार प्रदान करने की समस्या काफी वर्षों तक हमारे साथ रहेगी, इसका कारण यह है कि जिन व्यक्तियों को 1990 में रोजगार प्रदान करना होगा वे देश में जन्म ले चुके हैं। इसलिए अगली 2 दशाब्दियों तक इस समस्या का सामना करना पड़ेगा।

"गरीबी भारत का दुर्भाग्य है तो बेरोजगारी एक अभिशाप" विपुल मनुष्य शक्ति से सम्पन्न भारत पिछले दशक से जनसंख्या विस्फोट का सामना कर रहा है। लेकिन उससे मानव शक्ति साधनों का पूर्ण उपयोग अभी तक नहीं किया गया तथा बेरोजगारी हमेशा एक असाह्य समस्या बनी रही है। देश की स्वतन्त्रता के पश्चात् राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का नियोजन रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करने में काफी सहायक सिद्ध हुआ है। परन्तु इतना होने के बावजूद भी काम के लिए जुटाई गई सुविधाओं का रोजगार खोजने वालों की बढ़ती संख्या से कोई तालमेल नहीं बैठ सका, तथा बेरोजगारी का अधिशेष निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। अतः आज देश की सबसे प्रमुख समस्या विकास की नहीं, गरीबी हटाने और बेरोजगारी समाप्त करने की है। इस विकट समस्या के लिए प्रत्येक सरकार हमेशा से चिन्तित रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 30 वर्षों तक समाजवादी समाज की रचना का स्नेहसिक्त स्वप्न देखने वाले और विशाल संयंत्रों तथा बांधों को मुग्धता से निहारने वाले इस देश का आम आदमी आज ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है कि प्रत्येक कार्यक्रम को वह शंका की नजर से देख रहा है।

योजनाकाल

भारत सरकार ने जब से नियोजित रूप से विकास करना शुरू किया है तभी से कुछ न कुछ दोनों समस्याओं पर जोर दिया जाता रहा है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि की वजह से यह समस्या नहीं सुलझ पायी। जिसके कारण गरीबी एवं बेरोजगारी बढ़ती ही चली गई। वैसे यह कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है लेकिन इसमें निर्धन लोग अधिक हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 53 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे तथा द्वितीय एवं तृतीय योजना में 219 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो गए। इस प्रकार यह समस्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है।

छठी पंचवर्षीय योजना में भी इन दोनों समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है। क्योंकि जनता सरकार ने अपने चुनाव कार्यक्रम में यह वायदा किया था कि 10 वर्ष के अन्दर भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर कर दिया जायेगा इस कारण इस योजना में पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने, गरीबी को समाप्त करने और अधिक समानता वाले समाज की रचना करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर मुख्य रूप से जोर दिया गया तथा इस योजना में 4 करोड़ 90 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। सरकार ने व्यापक बेरोजगारी कार्यक्रम के समाधान के लिए अन्य बातों के अलावा उत्पादन दर को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया है। योजना प्रारूप की कार्यनीति में—

(1) रोजगार प्रधान क्षेत्रीय योजना अपनाने,

(2) रोजगार बनाए रखने तथा उसके विस्तार के लिए शिल्प, वैज्ञानिक परिवर्तन करने,

(3) सिंचित कृषि के विस्तार तथा डेरी विकास, वन उद्योग तथा मत्स्य पालन उद्योग में बड़ी संख्या में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा किए जाएंगे। गरीब लोगों की खपत में वृद्धि करके भी रोजगार में वृद्धि की जायेगी, आशा की जाती है कि 1978—83 तक की अवधि में 3 करोड़ व्यक्तियों को काम देने के साथ-साथ पहले से चली आ रही बेरोजगारी को भी एक सीमा तक समाप्त किया जा सकेगा।

भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री पटेल ने 1978–79 के बजट में भी गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए काफी प्रयत्न किये हैं। उन्होंने 500 करोड़ रु० की एक डेयरी विकास योजना

को वास्तविक रूप दिया, जिससे करीब 80 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

इस प्रकार योजनाकाल में इन समस्याओं को दूर करने का काफी प्रयत्न किया गया है। विशेष रूप से छठी पंचवर्षीय योजना में इस पर काफी जोर दिया गया है।

विश्वव्यापी समस्या

गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या केवल भारत में ही नहीं है, यह समस्या हर देश में पाई जाती है, चाहे यह विकासशील देश हो या विकसित देश, सभी इन समस्याओं के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। अन्तर केवल मात्रा का है। अतः विश्व के अन्य राष्ट्रों पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि लगभग सभी देश इस समस्या से पीड़ित हैं। अमरीका जैसे सम्पन्न देश में राष्ट्रीय जनसंख्या का पांचवां भाग अभी भी गरीब है। इस प्रकार विकसित देशों में भी बेरोजगारी एवं गरीबी अपनी जड़ें जमा रही हैं। भारत में समस्त जनसंख्या का 40 भाग ऐसा ही है जो निर्धनता की रेखा को पार करता है अन्यथा अधिकांश जनता इस रेखा से नीचे जीवनयापन करती है। देश के अनेक क्षेत्रों के लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार हुआ है लेकिन इसके साथ-साथ देश के लोगों और क्षेत्रों में असमानताएं भी बढ़ी हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि ये समस्याएं भारत में ही नहीं, बल्कि धनिक देशों में भी पाई जाती हैं। लेकिन इनकी प्रकृति एवं परिणाम में अन्तर है।

समस्या और सरकार

भारत का समाजवादी समाज का स्वप्न तभी साकार हो सकता है जब कि वह देश की इन दोनों जटिल समस्याओं को हल करे। पिछली सरकार देश में 30 वर्ष शासन कर गई लेकिन वह भी इन दोनों समस्याओं को हल करने में असफल रही, जिसके कारण देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक स्तर भी गिरता गया, लोगों में असन्तोष बढ़ा। इसके कारण 2 वर्ष पूर्व देश में एक शांतिपूर्ण परिवर्तन आया, जनता पार्टी सत्ता में आई और उसने 24 मार्च, 1977 को महात्मा गांधी की समाधि पर यह शपथ ली कि हम 10 वर्ष के अन्दर देश में बेरोजगारी एवं गरीबी हटा के रहेंगे। जैसा कि जनता पार्टी के अपने चुनाव कार्यक्रम में कहा गया था, जनता सरकार के लिए यह चुनौती जनता ने दी थी कि वह इन दोनों समस्याओं का उन्मूलन करे। तभी हम देश को गांधी का देश बना सकते हैं। और उससे ही समाजवादी समाज की स्थापना हो सकती है।

राष्ट्रीय विकास परिषद की 2 दिन की बैठक का उद्घाटन करते हुए भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कहा था कि जब तक देश में बेरोजगारी एवं गरीबी दूर नहीं होगी तब तक देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता, इसके लिए सरकार को श्रमप्रधान उद्योग धन्धों की स्थापना करनी होगी तथा ग्रामीण विकास पर अधिक बल देना होगा। तभी वह जनता को दिए गए वचनों को पूरा कर सकती है।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा० डी० टी० लकड़ावाला ने परिषद की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा था कि रोजगार प्रधान और आत्म नियोजन के क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने नई पंचवर्षीय योजना के तीन मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए:—

(1) अगले 10 वर्षों में बेरोजगारी को समाप्त करना।

(2) गरीबी के नीचे स्तर से भी नीचे स्तर का जीवन बिताने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना।

(3) ग्रामीण जनता को आम जरूरत की चीजें उपलब्ध करवाना।

जयप्रकाश नारायण ने भी समग्र क्रांति के द्वारा बेरोजगारी एवं गरीबी को दूर करने का श्रीगणेश किया जिसके कारण आज प्रत्येक राज्य सरकार का यह प्रयत्न है कि गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर किया जाए।

डा० राम कृपाल सिन्हा ने कहा था कि बेरोजगारी की समस्या से कई तरह से निपटा जा रहा है। बेरोजगारी की देशव्यापी समस्या और जनता पार्टी के 10 वर्ष में दूर करने के वायदे के महत्व पर बल देते हुए कहा कि कई दिशाओं से इस पर आक्रमण किया जा रहा है ताकि सरकार अपना वचन पूरा कर सके, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ योजना आयोग भी प्रयत्नशील है। इसके लिए शिक्षित युवा पीढ़ी को अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार छोटे-छोटे ऋण प्रदान करके व्यवसायों को उत्साहित करना चाहिए।

राजस्थान सरकार ने भी गरीबी एवं बेरोजगारी समस्या की चुनौती को स्वीकार किया। इन समस्याओं के लिए किए गए प्रयत्न बड़े सराहनीय हैं। राजस्थान सरकार की "अन्त्योदय योजना" तथा "काम के बदले अनाज" योजना इन समस्याओं के समाधान में जीता-जागता उदाहरण है। अन्त्योदय योजना द्वारा प्रत्येक गांव के सबसे गरीब पांच परिवारों का चयन करके उनको आर्थिक सहायता देकर उनका विकास किया जाता है। जिससे वह अपनी रोजी-रोटी कमा सकें। काम के बदले अनाज योजना भी हमारे राज्य में बड़ी प्रभावी सिद्ध हुई है, विशेष कर ग्रामीण इलाकों के लिए। इसमें रोजगार एवं विकास दोनों साथ-साथ होते हैं। गरीबी दूर करने के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण तंत्र है। गांधीजी के स्वप्न को साकार करने के लिए राजस्थान सरकार ने इन दोनों योजनाओं को लागू किया। लेकिन इसको प्रभावी बनाने के लिए जन सहयोग की आवश्यकता है।

बेरोजगारी भत्ता

बंगाल की मार्क्सवादी पार्टी की सरकार ने अपने नए साल के बजट 1978-79 में बेकारों को 50 रु० मासिक भत्ता देने की घोषणा की थी क्योंकि देश के समाजवादी अनेक वर्षों से यह मांग कर रहे थे कि बेकार नौजवानों को बेकारी भत्ता दिया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मांग को मंजूर करने का अर्थ होगा करोड़ों रु० का खर्चा। इस प्रकार बंगाल सरकार पर इससे 9 करोड़ रु० का वार्षिक खर्चा आएगा। पंजाब सरकार ने भी इस तरह का भत्ता देने का प्रावधान किया है।

अतः यह कहा जा सकता है कि सरकार को गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या की जो चुनौती मिली है उसको सहर्ष स्वीकार किया है तथा सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है। इसलिए सरकार ने ग्रामीण विकास पर जोर दिया, जिससे लघु एवं छोटे उद्योगों का विकास होगा जो इनके हक में सहायक सिद्ध होगा।

गरीबी एवं बेरोजगारी के कारण

भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी के निम्न कारण हो सकते हैं:—

(1) पूंजी का अभाव।
(2) जनसंख्या में तेजी से वृद्धि।
(3) कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता।
(4) दोष पूर्ण शिक्षा प्रणाली।
(5) सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं न होना।
(6) सरकार की उदासीनता।
(7) जनसहयोग का अभाव।

सुझाव

भारत जैसे अत्यधिक जनसंख्या वाले गरीब और विकासशील देश के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि आयोजन न केवल धन के आधार पर हो वरन् आदर्श व्यवस्था भी इसके कियान्वयन में एक बड़ी भूमिका निभाएं, दुर्भाग्य से पिछली आयोजना में इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए सरकार को श्रम शक्ति प्रधान उद्योगों पर विशेष बल देना चाहिए। तभी बेरोजगारी का प्रसार रोका जा सकता है।

भविष्य में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम रोजगारोन्मुख होने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र में कृषि साधनों की पूर्ति में पर्याप्त वृद्धि करने तथा उन्हें निर्धन एवं सीमांत कृषकों के हित में वितरित करने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रधानता देनी चाहिए।

इसके लिए निम्न सुझाव और हो सकते हैं:—

(1) कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित करना।
(2) औद्योगीकरण पर बल देना।
(3) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायी बनाना।
(4) कृषि क्षेत्र में विस्तार करना।
(5) आधुनिक आधार पर कृषि करना।
(6) शिक्षा पद्धति को रोजगारोन्मुख बनाना।
(7) बैंकों द्वारा सहायता प्रदान करना।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि गरीबी एवं बेरोजगारी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रहेगी, अगर हमारे देश की सरकार यह संकल्प कर ले। लेकिन सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि यहां की जनता एवं समाज सेवी संगठनों को भी आगे आना होगा। क्योंकि किसी भी अच्छे कार्य के लिए जन सहयोग मिलना परम आवश्यक है।

यह सही है कि सरकार के लिए गरीबी एवं बेरोजगारी हटाना एक चुनौती है। इसे 30 वर्षों से चली आ रही इन समस्याओं से मुकाबला करना है। केन्द्र एवं राज्य सरकारें इसके लिए जागरूक अवश्य लगती हैं क्योंकि नई औद्योगिक नीति, अनवरत नियोजन, कृषि को प्राथमिकता, अन्त्योदय योजना, काम के बदले अनाज योजना आदि इस दिशा में कठोर कदम हैं। यदि इन्हें दृढ़ता से लागू किया गया तो देश की 10 वर्ष में स्थिति बदल जाएगी।

स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, यदि देश के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक न्याय नहीं मिले। बेरोजगारी और गरीबी से ग्रस्त करोड़ों लोगों की आशाभरी निगाहें आर्थिक विकास के आगामी कार्यक्रम पर लगी हुई हैं। ●

प्रवक्ता,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर (राज.)

जनसंख्या नियंत्रण व सहकारिता

आर० बी० एल० गर्ग

संयुक्त राष्ट्र के प्रकाशन आम तौर पर चमत्कारिक वक्तव्यों के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन फिलहाल की इसकी एक बुलेटिन (विश्व जनसख्या का भविष्य) के निम्न शब्द निश्चित रूप से उत्तेजित करने वाले हैं। "विश्व जनसंख्या में वृद्धि की वर्तमान दर के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 600 वर्षों में पृथ्वी पर मानव प्राणियों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि एक व्यक्ति के लिए रहने के लिए एक वर्ग गज जगह ही उपलब्ध हो सकेगी। शायद यह कभी नहीं होगा, इसके रोकने के लिए अवश्य कुछ किया जाएगा।" संयुक्त राष्ट्र के इस वक्तव्य में निश्चित रूप से कोई अतिशयोक्ति नहीं क्योंकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति के विस्तार के दुष्परिणाम शीघ्र सामने आते जा रहे हैं। आज जनसंख्या वृद्धि का प्रश्न भारत के लिए एक राजनैतिक, सामाजिक, नैतिक और उससे भी ऊपर एक आर्थिक प्रश्न है। शायद यह एक सबसे बड़ा प्रश्न है और जैसा कि श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा है, यह जीवन-मरण का प्रश्न है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि जनसंख्या की समस्या भारत की एक विकट समस्या

है। भारत विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला दूसरा देश है, जहां प्रति वर्ष कि० मी० 182 व्यक्तियों का जनसंख्या घनत्व है। हमने 60,00,00000 की महत्वपूर्ण सीमा भी पार कर ली है। स्वतंत्रता के बाद 26 करोड़ की यह वृद्धि सोवियत यूनियन की कुल जनसंख्या के बराबर है तथा जिसकी भूमि भारत की अपेक्षा छः गुनी है। कहा जाता है कि भारत प्रति वर्ष एक आस्ट्रेलिया को जन्म देता है। विश्व का प्रत्येक सातवां व्यक्ति भारतीय है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर प्रत्येक माह 10 लाख है। पिछले दशक से जनसंख्या वृद्धि की औसत वार्षिक दर 2.5 प्रतिशत रही है जो कि निश्चित रूप से एक भयानक वृद्धि दर है। एक विद्वान् ने ठीक ही कहा है कि यदि जनसंख्या वृद्धि पर काबू नहीं पाया गया तो निसंदेह कुछ अनिष्ट की सम्भावना हो जायेगी जिसे देखने के लिए हम नहीं रहेंगे किन्तु हमारे बच्चे या पोते रहेंगे। उनके लिए यह कितना अनिष्टकारी होगा और उनके बच्चों के लिए कितना "घातक" यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम फिलहाल जनसंख्या वृद्धि पर काबू पाने के लिए क्या करते हैं।

वर्तमान में समस्त भारतीय जनसंख्या में 23 प्रतिशत ऐसी स्त्रियां हैं जो प्रजनन अवधि से सम्बन्धित हैं। पोषण के राष्ट्रीय संस्थान के अनुसार कुछ गरीब आर्थिक-सामाजिक वर्ग की प्रजनन अवधि से सम्बन्धित स्त्रियों की कैलोरी का औसत उपभोग 2000 तथा प्रोटीन की 45 ग्राम है। ये स्वीकृत स्तर से बहुत कम है। यही कारण है कि भारत में मातृ तथा बाल कुपोषण आम है तथा इसके कारण अनेक बीमारियों का मुकाबला करना पड़ता है। यह ठीक है कि चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धि के साथ मृत्यु दर काफी नीची हो गई है (जो कि अच्छी बात है) लेकिन जन्म दर में थोड़ी सी कमी हुई है (जो कि चिन्ता का विषय है)। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमने एक बहुत स्पष्ट लक्ष्य अपने सामने निर्धारित किया है जिसमें जन्म दर को 1975 में 36 प्रति हजार से 1984 में 25 प्रति हजार लाना है।

वर्तमान सरकार ने परिवार कल्याण योजना को प्रारम्भ किया है जो कि पूर्ण रूप से ऐच्छिक, उत्साह से भरी एक विस्तृत योजना है जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृ तथा शिशु की देखभाल, परिवार देखभाल, स्त्रियों के अधिकार आदि सम्मिलित हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सरकार का उद्देश्य केवल जनसंख्या पर नियंत्रण करना ही नहीं बल्कि इससे भी कुछ विस्तृत है, यथा—व्यक्तियों को अच्छे स्वास्थ्य वाला जीवन व्यतीत करने में सहायता करना। और इस बात का कोई कारण नहीं है कि यदि इस योजना को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जाए तो इस उद्देश्य में सफलता न मिले। परिवार कल्याण की सफलता जन-शिक्षा, और दवाइयों व स्वास्थ्य की सेवाओं को उपलब्ध कराने पर निर्भर है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार कल्याण में सहकारिता का भारी महत्व है। यह बात अलग है कि सहकारिता आन्दोलन के 75 वर्ष में इसने कहीं भी जनसंख्या पोषण तथा स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दिया और इसलिए सहकारिता इस विषय को उत्सुकता तथा मजाक से देखती है। "सहकारिता व जनसंख्या की राष्ट्रीय गोष्ठी" जो कि नई दिल्ली में 1974 में की गई थी, का निष्कर्ष था कि सहकारिता जनसंख्या की समस्या को हल करने में एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सहकारिता संगठन में अन्य संस्थाओं की अपेक्षा कुछ अतिरिक्त लाभ हैं : 1. ग्रामीण जनता सहकारी संस्थाओं से अच्छी तरह जुड़ी है ; 2. सहकारी संस्थाओं को परिवारों के आंकड़ों की जानकारी है ; 3. नेता गण ग्रामीण जनता को आसानी से परिवार कल्याण के बारे में समझा सकते हैं।

किसी भी प्राथमिक सहकारी समिति का उद्देश्य अपने सदस्यों तथा परिवारजनों को "अच्छा जीवन" प्रदान करना है, अतः परिवार कल्याण का कार्य सहकारी संस्थाओं के जाल सूत्र से सम्बन्धित किया जा सकता है। जब एक बार हम इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में सहकारी संगठनों को भागीदार बनाने के उद्देश्यों के बारे में अपनी निश्चित धारणा बना लें, तब यह निर्धारित करना कोई दुरुह कार्य नहीं होगा कि इस कार्य को कौन करे तथा किस प्रकार किया जाए। परिवार कल्याण के विशाल कार्यक्रम के निम्न पहलुओं में सहकारी संस्थाओं के सहयोग की अपेक्षा की जा सकती है।

(1) जनसंख्या तथा स्वास्थ्य शिक्षा

पंचवर्षीय योजनाओं में जनसंख्या तथा स्वास्थ्य शिक्षा को अभी तक इतना स्थान मिला था जितना मिलना चाहिए। यह बात विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में कही जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्मदर का उच्चस्तर, जो कि गरीबी का एक प्रतीक है, इस बात को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। यह समय का तकाजा है कि, अब सहकारी संस्थायें जनसंख्या तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार का कार्य अपने हाथ में लें। सरकार द्वारा घोषित स्वास्थ्य व परिवार कल्याण की नयी नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 की जनसंख्या पर 1 स्वास्थ्य परिवार कल्याण शिक्षक होगा। वह प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों तथा व्यक्तियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा। समिति चिकित्सा विशेषज्ञों से सम्बन्ध स्थापित कर सकती है ताकि व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर बीमारियों के नियंत्रण में काबू पाया जा सके। यह देखा गया है कि अज्ञानता, गलत धारणाओं तथा अस्वास्थ्यकर वातावरण से देहातों में बच्चे बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। उन्हें स्वास्थ्यकर वातावरण में रहना सिखाया जा सकता है।

(2) कुपोषण तथा प्रचार-प्रसार

कुपोषण मूल रूप से आर्थिक समस्या है, लेकिन इसमें अज्ञानता भी एक महत्वपूर्ण घटक है जिसके कारण मां तथा बालक को अनेक बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, यथा एनीमिया (मां) तथा क्वाशियोर्कर (बालक)। पोषण

[शेष पृष्ठ 21 पर]

प्रयोग किया गया है। भारत की जलवायु में स्टाइलोसेन्थिस हैमेटा घास के उत्साहजनक परिणाम निकले। इन फलीदार झाड़ियों को यदि चरागाहों में लगाया जा सका तो इससे देश के पशु धन विकास में क्रान्ति लाई जा सकती है।

सूखा वृत्ति वाले क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन चलाई गई योजना से बहुत सी स्थानीय तकनीकी समस्याओं को हल करने में मदद मिली है। इससे यह भी पता चल गया है कि चरागाह और पशु संवर्धन के मिले जुले कार्यक्रमों की उपयोगिता क्या है। अब वन तथा पशु पालन विभाग के कर्मचारियों ने यह स्वीकार कर लिया है कि चरागाह विकास पशु संवर्धन की आधार शिला है। जहां भी पेड़ संवर्धन कार्यक्रमों के साथ चरागाहों का विकास किया गया है वहां उनकी उपयोगिता के बारे में किसानों का विश्वास जम गया है। लेकिन जहां तक सामुदायिक और निजी भूमि में कार्यक्रमों के विस्तार का सम्बन्ध है, गम्भीर समस्याएं सामने आई हैं। अभी तक कार्यक्रम भेड़ संवर्धन के साथ चला है। शुरू-शुरू में भूमि पर पशु चराने की मनाही कर दी जाती है। घास और फलीदार झाड़ियों के उगने पर ही चराई को इजाजत दी जाती है। किसानों की सामान्य प्रतिक्रिया यह हुई है कि ऐसे कार्यक्रम का लाभ पशुधन और समाज के एक सीमित वर्ग को ही पहुंचा है। वे आशा करते हैं कि गांवों के सभी पशुओं को लाभ मिलना चाहिए। इस भावना में बल है कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह और बड़े इलाकों में कार्यक्रम के विस्तार की दिशा में एक कदम हो सकता है।

कुछ सुझाव

इस क्षेत्र में जो अनुभव प्राप्त किया गया है उसके आधार पर कार्यक्रम के विस्तार के लिए कुछ सुझाव दिए जाते हैं:

(1) कार्यक्रम के आधार को ध्यान म रखते हुए चरागाह विकास के लिए आवश्यक आधार ढांचा केन्द्र, जिला, और खण्ड स्तर पर बनाया जाना चाहिए।

(2) सरकारी, जंगली, पंचायती और गैर सरकारी व्यक्तियों की सीमान्त और अर्ध सीमान्त भूमि के विकास के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था होनी चाहिए।

(3) जिला स्तर पर तकनीकी दल बनाए जाने चाहिए जिनमें भूमि संरक्षण, वन विभाग और पशु पालन के विशेषज्ञ हों। यह दल भूमि का पता लगायेगा, किसानों को आकर्षित करेगा और उन्हें ट्रेनिंग देने तथा तकनीकी और वित्तीय आदान की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी लेगा। खण्ड स्तर के कार्यकर्त्ता किसानों की ट्रेनिंग सहित क्षेत्रीय कार्य की जिम्मेदारी लेंगे।

(4) गांवों में पशु धन संवर्धन समितियां स्थापित की जानी चाहिएं और युवा वर्ग को इन समितियों में शामिल होने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(5) ग्राम पशु संवर्धन समितियों की सलाह से तकनीकी दल को चरागाह विकास और रेंज व्यवस्था का एक क्रमिक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। यह बात ध्यान में रखनी होगी कि चरागाहों पर अधिकतम दबाव वर्षा ऋतु में पड़ता है जब खेती योग्य भूमि में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। अतः किसी एक ऋतु में समूची चराई वाली भूमि को चरागाह कार्यक्रम के अधीन लाना संभव नहीं होगा। इस कार्य को अनेक वर्षों में क्रम से बांटना होगा।

(6) समिति के सदस्यों को चरागाह विकास और रेंज व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यापक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(7) गांवों को विकास की अवस्था में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम और सी० ए० आर० ई० कार्यक्रम के अधीन सहायता दी जाए।

(8) जब तक स्थानीय प्लांटों का विकास न हो तब तक सूखे के दौरान चारा मंगाने के लिए भी प्रबन्ध करना होगा।

चरागाह विकास कार्यक्रम देश के लिए नया है और कमियों तथा कठिनाइयों से भरपूर है। वर्तमान परिस्थितियों में कोई भी अकेला सरकारी विभाग अथवा ग्राम समुदाय अलग से इस कार्य को नहीं कर सकता। इसके लिए विभिन्न विभागों को मिल-जुल कर कोशिश करनी होगी। साथ ही इसके लिए गांवों के किसानों, खासकर युवा किसानों को सघन प्रशिक्षण देना होगा और उन्हें इसमें साझीदार बनाना होगा। इसके अलावा, इन क्षेत्रों की विकट परिस्थितियों के कारण हम निश्चित अल्प अवधि में मन चाहे नतीजों की अपेक्षा नहीं कर सकते। पूर्ण निष्ठा से प्रयास करने पर भी चरागाहों के पुनरुद्धार में और उन्हें ग्राम पशु धन की आवश्यकता के अनुरूप ढालने में कुछ समय लगेगा। यह भी जरूरी होगा कि चरागाह के विकास के साथ-साथ पशु संख्या पर भी नियंत्रण रखा जाए ताकि वर्तमान भूमि पर और भार न पड़े। पशु संवर्धन के भविष्य का पशु संख्या वृद्धि के नियंत्रण, पशुओं की नस्ल सुधार और चरागाहों के संवर्धन से गहरा नाता है। ✱

अनुवादिका
प्रकाशवती
सी०-11-26, ए० एम० आई०जी
लारेंस रोड, दिल्ली-35।

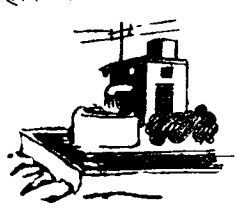

हमारा कृषि प्रशासन : एक लेखा-जोखा

सच्चे अर्थों में प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने प्रशासित लोगों का अधिक से अधिक भला कर सकती है। जब हम कृषि प्रशासन के विषय में बात करते हैं और जब हम इसे अपने देश के विकासशील समाज के संदर्भ में देखते हैं तो यह और भी अधिक सत्य और समीचीन प्रतीत होती है।

प्रशासन ऐसा होना चाहिए जो अपने विशिष्ट क्षेत्र में अपनी सारी जिम्मेदारी निबाह सके और एक ऐसे तन्त्र का विकास कर सके जिससे यह विकास की प्रक्रिया में आड़े आने वाले अनेक तोड़-मरोड़ तथा भार और दबावों का ध्यान रख सकें। अतः यह विकास ही हमारा मुख्य केन्द्र बिन्दु है।

कृषि के विकास का अर्थ है कृषि के भौतिक एवं मानवीय दोनों ही प्रकार के संसाधनों का विकास। भौतिक संसाधनों के विकास में संरचना आधार का विकास और उत्पादन की भौतिक स्थितियों में सुधार लाना भी शामिल है। इसके लिए प्रशासन को दो प्रकार की कार्यवाहियों की आवश्यकता होती है :—

(1) भूमि सुधार के उपाय, भूमि के उद्धार, और मृदा संरक्षण इत्यादि के द्वारा भूमि विकास।

(2) बेहतरीन बीजों, उर्वरकों, ऋणों इत्यादि जैसे आदानों की पूर्ति।

मानवीय संसाधन, उत्पादक के प्रोत्साहन, प्रवीणता और कुशलता पर आश्रित हैं। इन कारकों का विकास काफी कुछ उपयुक्त सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों जैसे भूमि-नीति, मूल्य-नीति, और व्यापार-नीति पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि मानवीय एवं भौतिक संसाधन परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यह तो प्रशासन का कार्य है कि वह इन सभी संसाधनों को अच्छा अर्थ और आकार दे।

कृषि प्रशासन, कानून और व्यवस्था जैसे दैनिक प्रशासन से बहुत भिन्न है। दुर्भाग्य से भारत में एक प्रशासक की भूमिका को परम्परा से नियामक की हैसियत से देखा गया है न कि एक विकास के अभिकरण की हैसियत से। हालांकि उसकी भूमिका वर्षों से बदलती चली जा रही है लेकिन अभी भी उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, कृषि के क्षेत्र में उसे परिवर्तन के एक अभिकरण के रूप में कार्य करना चाहिए न कि मात्र आदानों के वितरण के अधिकारी के रूप में।

हमें कृषि विकास के प्रशासन के लिए निष्ठावान प्रशासकों की आवश्यकता है। प्रणाली के विषय में शिकायत करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि, प्रणाली तो मानवों द्वारा ही संचालित होती है और इसे मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना होता है।

सी० आर० विश्वास

कृषि प्रशासकों को यह बात स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि उन्हें प्रशासक की भूमिका अख्तियार करने के बाद अपने प्रशासितों की सेवा करनी ही चाहिए जो अधिकांशतः गरीब और निरक्षर किसान हैं। इस प्रकार कृषि कार्यक्रमों को, नियामक पहलुओं की अपेक्षा जब तब और भी अधिक बातों की जरूरत पड़ेगी। सामान्यतः पहल संचार और समन्वय पर नियमित रूप से निगरानी रखनी होगी।

पहल :— अधिकारियों में पहल को प्रोत्साहन देने के सामान्य समाधान ये हैं :— गुणों के आधार पर पदोन्नति और अच्छे कार्य को मान्यता देना। कृषि के संदर्भ में पहल से उद्देश्यों के प्रति निष्ठा की ध्वनि गूंजनी चाहिए। बड़े और छोटे कार्यकर्त्ताओं के बीच मानवीय सम्बन्धों के आधार से छोटे क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं में पहल पैदा होती है। वरिष्ठ अधिकारियों को अपने क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के साथ औपचारिक एवं अनौपचारिक बैठकें करनी चाहिए।

संचार :—संचार का परम्परागत तरीका लिखित संचारों पर जोर देता है, परन्तु हमारे इस काम के लिए लिखित संचारों की अपेक्षा व्यक्तिगत सम्पर्कों का तरीका अधिक कारगर हो सकता है। विस्तार कार्यकर्त्ताओं को गांवों के लिए बड़ी सभाओं और समूह सभाओं का आयोजन करना चाहिए और उनमें सक्रिय रूप से भाग भी लेना चाहिए। जिला और खण्ड अधिकारियों और ग्राम स्तरीय कार्यकर्त्ताओं तथा किसानों के बीच नियमित रूप से सम्पर्क स्थापित रखना भी जरूरी है।

समन्वय :— सामान्यतः अधिकारियों और गैर-अधिकारियों के बीच समन्वय की समस्या भी विद्यमान होती है। कृषि एक राष्ट्रीय विषय भी है और स्थानीय भी। एक तरफ जहां इसमें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे अधिकारी कायरत रहेंगे, वहां दूसरी ओर इसमें स्थानीय व्यक्ति जैसे समाज-सेवी, छोटे और सीमांत किसान तथा अन्य गरीब लोग शामिल रहेंगे। अतः इन दोनों जन समूहों के बीच अन्तर्कार्य

अधिकारी अक्सर दो भिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं । आमतौर से पृष्ठ-भूमि, रुख और समस्याओं के प्रति समाधान की दृष्टि से इनमें काफी मतभेद होते हैं । आमतौर से अधिकारी कायदे-कानून से चलते हैं जिनसे काम में देरी और लालफीताशाही की प्रवृत्ति रहती है । दूसरी ओर गैर अधिकारी अंगूठे के नियम के सहारे चलने वाले होते हैं और नियमों व उपनियमों की परवाह नहीं करते । किन्तु सामान्यत: यह बात सही नहीं है और न ही इन मतभेदों को दूर करना असम्भव है । इन दो समूहों के बीच व्यक्तित्व का तालमेल बैठाया जा सकता है, हालांकि इसका हल परिस्थितियों पर निर्भर करेगा किन्तु यह माना जा सकता है कि ऐसा तालमेल पहल और अधिकारियों की व्यावहारिक पहुंच पर निर्भर करेगा ।

कभी-कभी उन अधिकारियों में भी समन्वय की समस्या होती है जो कमान की एक ही रेखा के नहीं होते । अधिकारियों में समुचित समन्वय की कमी के कारण हमारे अनेक कृषि कार्यक्रम असफल रहे हैं । यह ठीक है कि आमतौर पर कमान की एक ही रेखा जैसे एक ही विभाग के अन्तर्गत अथवा समान स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों में उचित समन्वय बना रहता है, परन्तु विभिन्न विभागों और विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे अफसरों के बीच समन्वय कमजोर ही रहता है । उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में, जहां राजस्व अधिकारी और पंचायत अधिकारी विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों के अधीन कार्य कर रहे हैं, वहां समन्वय की समस्या बढ़ती जा रही है । समुचित समन्वय की कमी से देर और अपर्याप्त आदानों की पूर्ति से कृषि कार्यक्रमों की सफलता में रुकावट पैदा हो सकती है ।

सुधार के उपाय--कभी-कभी मंत्रालयों में प्रशासकों, वैज्ञानिकों और तकनीकी अधिकारियों में भी उचित समझ बूझ की कमी पाई जाती है : अत: जरूरी है कि अपने विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व सौंपा जाए और ढांचे में विवेकपूर्ण सुधार लाया जाए । ध्यान देने की जरूरत है कि तकनीकी विशेषज्ञ आवश्यक रूप से दैनिक प्रशासन के काम काज में ही न फंसे रहें ।

प्रक्रिया, नियमों और उपनियमों में सुधार की आवश्यकता है । जितना हो सके, इन्हें उतना ही सरल, स्पष्ट और सीधा बनाया जाना चाहिए । बहुत सी बातों में निर्णय लेने के स्तर पर परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है । जरूरी है कि सत्ता सोच समझ कर सौंपी जाये जबकि उसके बारे में समूचा लेखा-जोखा हो । समुचित लेखा-जोखाओं के न रखने के कारण नवीन प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत, कृषि में किए गए हमारे अनेक प्रयास बेकार चले गए हैं । बिना इसके शक्ति, धन, और समय की बर्बादी होगी ही । समय-समय पर योजनाओं का समुचित मूल्यांकन भी जरूरी है, क्योंकि इससे यथा समय काम-काज में सुधार लाया जा सकता है ।

हमें अपने कृषि प्रशासन के सरलीकरण और विकेन्द्रीकरण के बारे में निष्ठावान होना चाहिए । यह दुर्भाग्य ही है, हालांकि हमने प्राथमिक रूप से कृषि के लिए बहुत से संस्थान खोले हैं किन्तु हम उनकी भूमिकाओं के विषय में कभी भी गम्भीर नहीं रहे । पंचायती राज संस्थान अस्तित्व में आ चुके हैं । अत: इन संस्थानों और सहकारियों स्वयं सेवी अभिकरणों तथा अन्य संस्थानों का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकें । उनको सुदृढ़ किया जाए जिससे कृषि कार्यक्रमों को और भी अधिक निष्ठा से अमल में लाया जा सके । इस तथ्य से इन्कार नहीं करना चाहिए कि नीति निर्माण के स्तर पर कुछ-कुछ दुहरी प्रक्रिया चालू है । चूंकि कृषि केन्द्र और राज्य दोनों का ही विषय है, अत: इसे दोनों के संयुक्त प्रयास का क्षेत्र माना जाना चाहिए । केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के बीच आपसी समझ-बूझ और सलाह-मसविरा भी होना जरूरी है ।

प्रौद्योगिकी और कृषि अनुसंधान

देश में कृषि प्रौद्योगिकी का बड़ी तेजी से विकास होता जा रहा है । इस प्रौद्योगिकी सभी कुछ शामिल है । हमारी कृषि को अभी भी वैज्ञानिक अनुसंधानों का लाभ उठाने की जरूरत है । सुधरे हुए बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों और मृदा विश्लेषण के तरीकों, जल उपयोग इत्यादि की दिशा में नवीन खोजों से ही सफलता प्राप्त की जा सकी है । ऋण को एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मद माना गया है । जैसे-जैसे समय व्यतीत होता जाएगा, ऋण ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी । कृषि के लिए अधिकाधिक ऋण सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय संस्थानों को प्रेरित करना आवश्यक है ।

खेतों में प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करने के लिए प्रशिक्षण जैसी विस्तार सेवाओं को उपयोगी तकनीक माना गया है ।

प्रगति के आसार

गत कुछ वर्षों में खाद्य उत्पादन में भी वृद्धि होती रही है । 1978-79 में अच्छी फसलों की सम्भावना है । सन् 77-78 में रिकार्ड स्तर के 12 करोड़ 56 लाख टन उत्पादन की अपेक्षा 78-79 में 20 लाख टन अधिक उत्पादन की आशा है । व्यावसायिक फसलों जैसे कपास, मूंगफली और तिलहन का उत्पादन काफी ऊंचा होता जा रहा है । स्पष्ट है कि इन सब का श्रेय कृषि में उपयुक्त बेहतरीन तरीकों और तकनीकों को है ।

सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास को प्राथमिकता दी गई है । सन् 77-78 में सिंचाई के अन्तर्गत--क्षेत्र 26 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है । गत 5 वर्षों में सिंचित क्षेत्र में प्र० वर्ष औसत वृद्धि 15 लाख हेक्टेयर की दर से होती रही है । अब 38 कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत 60 कमान क्षेत्र कार्यक्रम चालू हैं । उरर्वरकों के उपयोग में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है । सन् 77-78 में उच्च किस्मों के बीजों की उपज के अधीन 38 करोड़ 80 लाख हैक्टेयर क्षेत्र था । सन् 78 के अन्त तक कृषि के लिए दिया गया कुल ऋण 2,360 करोड़ रुपए था । सहायक कार्यवाहियों के विकास पर ध्यान दिया गया है । 'श्वेत क्रान्ति' के फलस्वरूप दूध उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है । मत्स्य उद्योग में समुद्री मछलियों से लाभ उठाने की तरफ ध्यान दिया जा रहा

[शेष पृष्ठ 36 पर]

गरीबी से उबार कैसे ?

मुरारी लाल सिंहल

देश में गरीबी और अमीरी के बीच खाई पर सेतु बांधने के लिए विगत तीन दशकों में किए गए हमारे सभी भागीरथी प्रयत्न निष्फल रहे हैं। भारत में गरीबी तथा अमीरी के बीच खाई बहुत गहरी है तथा दिन प्रतिदिन और अधिक गहरी होती चली जा रही है। देश की जनसंख्या का 68.69 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। स्वतंत्रता के उपरांत देश के तथाकथित कर्णधारों ने संसद् के भीतर तथा बाहर अनेक बार गरीबी के कलंक को भारत के भाल से धो देने की कसमें खाई हैं। एक आम चुनाव भी गरीबी हटाओ के के नाम पर जीता गया। किन्तु गरीबी तो अंगद का पैर जमाए अड़ी है जो हटने का नाम ही नहीं लेती। गरीबी हटना तो दूर रहा अपितु उसकी जड़ें और अधिक गहरी होती चली जा रही हैं। पतित तारिणी पाप-हारिणी गंगा मैया तो बारह वर्ष बाद कुंभ के मेले में अशुचिता धोकर कल्याण करती है, किन्तु हमारे भाग्य विधाता हर पांच वर्ष बाद दरिद्र नारायण के घर-घर जाकर गरीबी हटाने व स्वर्णिम प्रभात लाने का सुहावना स्वप्न दिखाते हैं।

खाने को अन्न नहीं, ओढ़ने को वस्त्र नहीं, घर पर छप्पर नहीं, बच्चों को दूध नहीं, जिस भूमि पर झोपड़ी बनी है, वह भी उसकी नहीं, दवा का प्रबन्ध नहीं, शिक्षा का प्रश्न ही नहीं, ऐसी दशा है भारत की। इनमें सुधार करने के लिए पंचवर्षीय योजनाए बनीं, किन्तु समुचित सुधार नहीं हुआ। योजना काल में देशी तथा विदेशी अपार साधनों से बड़े-बड़े बांध बने। भाखड़ा-नांगल एशिया का सबसे बड़ा जलाशय हमारी प्रगति तथा [illegible] के परिचायक बनकर है। भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर की मिलों तथा ज्वालामुखी की भांति आग उगलती चिमनियां पंचवर्षीय योजनाओं की कहानी कहती हैं। योजना से सम्पूर्ण देश का जीवन मान बढ़ा, ठीक है। किन्तु गरीब के जीवनमान में क्या अन्तर हुआ? सबका स्तर ऊंचा होता है तो नीचे वालों का स्तर भी कुछ ऊपर उठता है। ऊपर बहुत वर्षा होने पर जमीन के भीतर भी पानी चला जाता है। किन्तु कहीं जमीन के अन्दर चट्टान होती है तो वहां नीचे एक बूंद भी पानी नहीं जाता। हमारे देश में आर्थिक विषमता, निजी स्वार्थ, पद लोलुपता, पक्षपात-पोषण, जातिभेद, आदि अनेक चट्टानें हैं जिससे भारत की औसत आय बढ़ने पर भी गरीब को कुछ भी नहीं मिला।

1972 से 1975 के बीच 15 बड़े घरानों की सम्पत्ति 2704.19 करोड़ रुपये से बढ़कर 4056.31 करोड़ रुपये हो गई। टाटा की सम्पत्ति में 44.07 प्रतिशत, बिरला की सम्पत्ति में 53.55 प्रतिशत तथा आई० टी० सी० की सम्पत्ति में 163.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि में गरीबदास की सम्पत्ति में एक प्रतिशत के शतांश भाग भी वृद्धि नहीं हुई।

कृषि के क्षेत्र में तीन चौथाई से भी कृषक, कुल कृषि योग्य भूमि के एक-चौथाई से भी कम के स्वामी हैं तथा इनमें से अधिकांश नंगे भूखे तथा फटेहाल हैं। स्वतंत्रता के उपरांत कृषि उत्पादन में दूने से अधिक वृद्धि हुई किन्तु ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कृषकों की औसत आय प्रति व्यक्ति कम हुई है। हरित क्रांति का लाभ देश के 15 प्रतिशत से भी कम बड़े कृषकों को मिला। कृषक गरीबी के जाल को काटना चाहता है किन्तु इसके शिकन्जे में वह इस तरह जकड़ा हुआ है कि पैर निकालता है तो हाथ फंस जाते हैं और हाथ बढ़ाने पर पांवों की बेड़ियां जकड़ जाती हैं।

मितव्ययिता, सादगी अहंकारहीनता, आडम्बर शून्यता, विनम्रता और कठोर अध्यवसाय केवल कर्म के गुण ही नहीं अपितु राजनीति और शासन के लिए भी आवश्यक है। पूज्य महात्मा गांधी जीवन भर कहते रहे कि सेठों को समाज का ट्रस्टी होना चाहिए। किन्तु सेठ ट्रस्टी नहीं बनाए जा सके। सरकारी क्षेत्र के नेता और [illegible] सुख के लिए नहीं, समाज के हित के लिए करते तभी भारत के भाल से गरीबी का काला धब्बा धुल गया होता।

स्वतन्त्रता के उपरान्त हमारी सरकार का ध्यान सम्पूर्ण रूप से आर्थिक प्रगति की ओर रहा है तथा नियोजन काल में देश का अर्थबल बढ़ा भी है। इसके अनेक लक्षण विद्यमान हैं, हमारे आयात कम हुए हैं तथा निर्यात बढ़े हैं, खाद्यान्न स्थिति नियन्त्रण में आ गई है। किन्तु हमारी प्रगति की वास्तविक धुरी अभी तक उपेक्षित ही रही प्रतीत होती है। गरीबी तथा गरीबों की स्थिति में अभी तक कोई आशोन्मुख परिवर्तन सम्भव नहीं हो सका है। हमारे देश के लिए सबसे व्यावहारिक लक्ष्य यही हो सकता है कि गरीबी को दूर करें, भिखमंगी को दूर करें, अशिक्षा और बेकारी को दूर करें। इन्हें दूर करने की प्रतिज्ञा हमारी सरकार ने की है। इसकी ख्याति संसार में दूर-दूर तक पहुंच गई है।

1 अप्रैल 1978 से प्रारम्भ हुई छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी को कम करने का उद्देश्य रखा गया है। 4.7 प्रतिशत आर्थिक विकास की दर से निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या पांच वर्ष में 26.5 करोड़ से घटकर केवल 2.5 करोड़ रह जाएगी। इसके अतिरिक्त, 3.5 करोड़ व्यक्तियों को निर्धन व्यक्तियों की श्रेणी में आने से बचाया जा सकेगा। जो व्यक्ति निर्धनता के शिकंजे में बुरी तरह जकड़े हुए हैं जिनका उपभोग स्तर निर्धनता की सीमा से भी चार गुना कम है उन व्यक्तियों की संख्या को इन पांच वर्षों की अवधि में 25.5 प्रतिशत से घटाकर 19 प्रतिशत के लगभग पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

गरीबी कैसे दूर होगी यह एक गम्भीर विचारणीय प्रश्न है। देश को अगले दस वर्षों में गरीबी के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए निजी तथा सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता, अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि, वितरण व्यवस्था में सुधार, रोजगार की व्यवस्था तथा ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप दिया जाना नितान्त अनिवार्य है।

सुझाव

(1) **व्यय में मितव्ययिता** :—सरकार के राजस्व का बहुत बड़ा भाग प्रशासनिक व्यवस्था में, स्वागत-सत्कार, साज-सज्जा आदि पर व्यय हो जाता है। जो धन रचनात्मक तथा उत्पादन कार्यों में लगाया जाना चाहिए, वह पानी की तरह बह जाता है। ऐसे व्यय को कम करने की जरूरत है। गरीबों को स्वीकार्य बनाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि मंत्री तथा सरकारी अधिकारी स्वेच्छा से मितव्ययी बनें या सरकार उन्हें मितव्ययी और आडम्बर मुक्त होने पर विवश करे। लोक लेखा समिति ने अपनी 114 पृष्ठों की रिपोर्ट में बताया है कि सार्वजनिक धन को, करोड़ों रुपयों का घाटा उठाने वाले सरकारी उद्योगों ने, अधिकारियों के लिए सुख-सुविधाएं जुटाने पर बेदर्दी से पानी की तरह बहाया है। जहां अनेक छोटी बड़ी सरकारी कम्पनियों को लाखों-करोड़ों रुपयों का घाटा हुआ है, वहां भी गरीब जनता के धन की चिन्ता किए बिना बड़े अधिकारियों के लिए विश्रान्ति गृह, तैरने के तालाब, आदि सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। छोटे कर्मचारियों की पूर्णरूपेण उपेक्षा की गई है। कम्पनियों ने अंधाधुन्ध धन न केवल विश्रान्ति-गृह बनाने तथा उन्हें सजाने पर व्यय किया है अपितु उन्हें वातानुकूलित बनाने तथा चलाने पर भी किया है। 38 सरकारी कम्पनियों ने अपने विश्रान्ति गृहों पर 191.68 लाख रुपए व्यय किए हैं। इसमें से 4.25 लाख रुपया भूमि, 156.93 लाख रुपया निर्माण तथा 18.43 लाख रुपए सजावट पर व्यय किए हैं। इसके अतिरिक्त, 12.62 लाख रुपए वातानुकूलन पर व्यय किए हैं। उनके रख-रखाव पर व्यय दो वर्षों में 18 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख रुपए हो गया। जीवन बीमा निगम के पास 52 तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के पास 23 विश्रान्ति गृह हैं। 1858 लाख रुपए का घाटा उठाने वाली भारत अलुमिनियम तथा 3516 लाख रुपए का घाटा उठाने वाली माईनिंग मशीनरी कम्पनी का सुख सुविधाओं के विस्तार पर व्यय बढ़ता चला जा रहा है। सुख-सुविधाएं जुटाने पर इतना भारी व्यय किया जा रहा है कि जिसे भारत जैसे गरीब देश में उचित नहीं समझा जा सकता। अतः गरीबी को देश से तिलांजलि देने के लिए सबसे पहली आवश्यकता सरकारी धन के अपव्यय को समाप्त करके सादगी अपनाने की है।

उत्पादन में वृद्धि : स्वतन्त्रता के उपरान्त देश में रेफ्रिजिरेटर, बिजली के पंखे, टेलीविजन स्कूटर, टेरेलिन, तथा पोलिस्टर वस्त्र आदि आराम-दायक वस्तुओं के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। किन्तु गरीब जन साधारण के उपयोग में आने वाली वस्तुओं का उत्पादन यथोचित मात्रा में नहीं बढ़ा है। नियंत्रित मूल्य का सस्ता कपड़ा पर्याप्त मात्रा में गरीबों तक नहीं पहुंच सका है। अतः गरीबी को अलविदा करने के लिए आरामदायक वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि पर रोक लगाकर आवश्यकताओं की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे उनके मूल्य कम होकर वे जनसाधारण को आसानी से सुलभ हो सकें।

वितरण व्यवस्था में सुधार :—जिस देश के खाद्यान्न भण्डारों में 2 करोड़ टन अनाज भरा हो, उससे यदि 50 प्रतिशत जनसंख्या को दो जून पेट भर रोटी न मिले तो निश्चय ही उसकी वितरण व्यवस्था में कहीं न कहीं कुछ दोष है। यदि वस्तुएं सुविधाजनक ढंग से सुलभ करना है, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नीचे लाना है तो जनसाधारण के कष्टों को दूर करने के लिए दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार ने देश भर में उचित मूल्य की दुकानों का जाल फैलाने की योजना तैयार की है। लेकिन इसका अभिप्राय पूरी व्यवस्था का सरकारीकरण है तो निश्चय ही यह खतरनाक बात होगी। क्योंकि सरकारी व्यवस्था बिलकुल निर्दोष होगी, यह कैसे कहा जा सकता है? विचारणीय प्रश्न यह है कि समाज का उत्तरदायित्व समाज पर ही क्यों न रखा जाय? प्रक्रिया ऐसी हो कि जनता स्वयं अपना संगठन बना कर वितरण की उचित व्यवस्था करे। इस प्रकार की व्यवस्था होने पर बिचौलियों और अन्य समाज विरोधी तत्वों पर अपने आप अंकुश लग सकेगा।

रोजगार की व्यवस्था :—हमारे देश म 22-23 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें एक जून भी भरपेट भोजन नहीं मिलता। इनकी यह दशा इसलिए नहीं है कि इनके क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं। इनकी दुर्दशा का मुख्य कारण है क्रय-शक्ति का अभाव। यदि पैसे ही नहीं होंगे तो चारों तरफ सस्ती वस्तुओं की भरमार होने पर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए वितरण व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ ऐसे व्यक्तियों को कार्य पर लगाने का भी प्रयत्न किया जाना चाहिए अन्यथा गरीबी तथा अभाव की समस्या बनी रहेगी तथा मूल्यों को नीचे लाकर उपभोक्ता वस्तुएं सर्वसुलभ कराने का संकल्प अपूर्ण ही रहेगा। गरीबी और बेरोजगारी एक ही समस्या के दो पहलू हैं।

सादगी : सम्पूर्ण संसार अभाव और दरिद्रता का महासमुद्र है, जिसमें जहां तहां अति समृद्धि के टापू दिखाई देते हैं, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, पश्चिमी यूरोप आदि। इन टापुओं की नकल करने में भारत को सफलता मिलने वाली नहीं, हां उसके पास अब भी गौरव की जो वस्तु है उसे खो बैठेगा। अतः बड़े-बड़े कारखाने खोलने से भी अधिक आवश्यक कार्य यह है कि हम स्वीकारें, सीखें, व्यवहार करें तथा अपने बालकों को आरम्भ से ही यह सिखाना प्रारम्भ करें कि बहुत सुख भोगने के मनसूबे मत बांधो, तुम्हारा देश गरीब है, इसे स्वतन्त्र बनाने के लिए अमीर से अमीर नेता भी फकीर बन गए थे। तुम्हारा भी कर्त्तव्य है कि तुम देश को उन्नत बनाने के लिए अपने सुखों का त्याग करो। भारत का मोक्ष पूज्य महात्मा गान्धी द्वारा बताए गए ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त को व्यवहार में लाने में ही निहित है।

हमारे देश में सम्पन्नता के बीच विपन्नता का विरोधाभास है, जिसे समाप्त करने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास किया जाना आवश्यक है। निजी तथा सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता, उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सादगी तथा ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त का पालन करके गरीबी के कलंक को मिटाया तथा सुखी एवं समृद्ध भारत का निर्माण किया जा सकता है।

फसल प्रतियोगिता : क्या और क्यों ?

अखिल भारतीय फसल प्रतियोगिता योजना का उद्देश्य किसानों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा की ऐसी भावना जाग्रत करना है जिससे वे खेती के नवीनतम ज्ञान तथा साधनों को अपनाकर अधिकतम पैदावार लेने के लिए आपस में होड़ लगायें। इस प्रकार किसानों को खेती के आधुनिक ज्ञान तथा साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । ऐसे किसानों को, जिन्होंने भारी पैदावार लेकर कृषि क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं, पुरस्कृत तथा सम्मानित किया जाता है ।

राज्य सरकारें यह प्रतियोगिता खण्ड, जिला व राज्य स्तर पर आयोजित करती हैं ताकि किसान स्थानीय स्तर पर भारी पैदावार लेने के लिए होड़ लगायें और सफलता प्राप्त करने पर भारत सरकार द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आगे बढ़ें।

अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रत्येक फसल के लिए प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार विजेताओं को क्रमशः 5000, 3000 व 2000 रुपए के नकद पुरस्कार दिए जाते हैं । प्रथम पुरस्कार विजेताओं को 'कृषि पंडित' से विभूषित करके उन्हें एक प्रमाण-पत्र भी दिया जाता है ।

पिछले वर्षों की तरह ही 1977-78 वर्ष में धान, खरीफ ज्वार व गेहूं की फसलों में विस्तार निदेशालय, कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय फसल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।

धान की फसल प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु—इन 10 राज्यों के 37 किसानों ने भाग लिया। ज्वार की फसल प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, व आंध्र-प्रदेश के 19 किसानों ने भाग लिया । गेहूं की फसल प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र के 20 किसानों ने भाग लिया ।

पुरस्कार विजेता

पुरस्कार विजेताओं का नाम व पता	पैदावार किलोग्राम हैक्टेयर में	स्थान व पुरस्कार
धान		
1. श्री टी० जी० शिवराज ग्राम साथान मौसा हास्पीटल रोड, डाकघर अदोनी, जिला कुरनूल (आंध्र प्रदेश)	17544.00	**प्रथम** रु० 5000 नकद व कृषिपंडित का प्रमाण-पत्र
2. श्री पनढरी लाखाजी लिचाड़े ग्राम बरबसपुर, डाक-घर कचामानी तहसील-गोंडिया, जिला-भंडारा (महाराष्ट्र)	16490.05	**द्वितीय** रु० 3000 नकद और योग्यता का प्रमाण-पत्र
3. श्री गौरी शंकर तिवारी ग्राम नवापारा खुर्द तहसील-महासखुर्द, जिला-रायपुर (म० प्र०)	15475.00	तृतीय रु० 2000 नकद और योग्यता का प्रमाण-पत्र
खरीफ ज्वार		
1. श्री मोहनलाल ओंकार दास लोढ़ा ग्राम व डाक-घर पाहुरपेंठ ताल्लुका-जामनेर, जिला-जल-गांव (महाराष्ट्र)	12820.00	प्रथम रु० 5000 नकद और कृषि पंडित का प्रमाण-पत्र
2. श्री पीराजी ग्राम-नरवर डाक-घर नरवर, तहसील और, जिला-उज्जैन (म० प्र०)	1806.00	द्वितीय रु० 3000 नकद और योग्यता का प्रमाण-पत्र
3. श्री के० वैंकट रेड्डी ग्राम-बचारन ताल्लुका-विकाराबाद, जिला-हैदराबाद, (आंध्र प्रदेश)	5950.00	तृतीय रु० 2000 नकद और योग्यता का प्रमाण पत्र
गेहूं		
1. श्री गिरधारी लाल ग्राम जेतपुरा, डाक-घर केगेटी ब्लाक—मल्हारगढ़, जिला-मंदसौर (म० प्र०)	16784.00	प्रथम रु० 5000 नकद व कृषिपंडित का प्रमाण-पत्र
2. श्री समरथमल पटवा ग्राम व डाक-घर-कुकरेश्वर तहसील-मनासा, जिला-मंदसौर (म० प्र०)	15386.00	द्वितीय रु० 3000 नकद व योग्यता का प्रमाण-पत्र
3. श्री राजाराम गुप्ता स्टार्च फैक्टरी महू-नीमच रोड़ जिला-मंदसौर, (म० प्र०)	13990.00	तृतीय रु० 2000 नकद व योग्यता का प्रमाण-पत्र

हरियाली के दुश्मन —

टिड्डी दल

शिवा विद्यार्थी

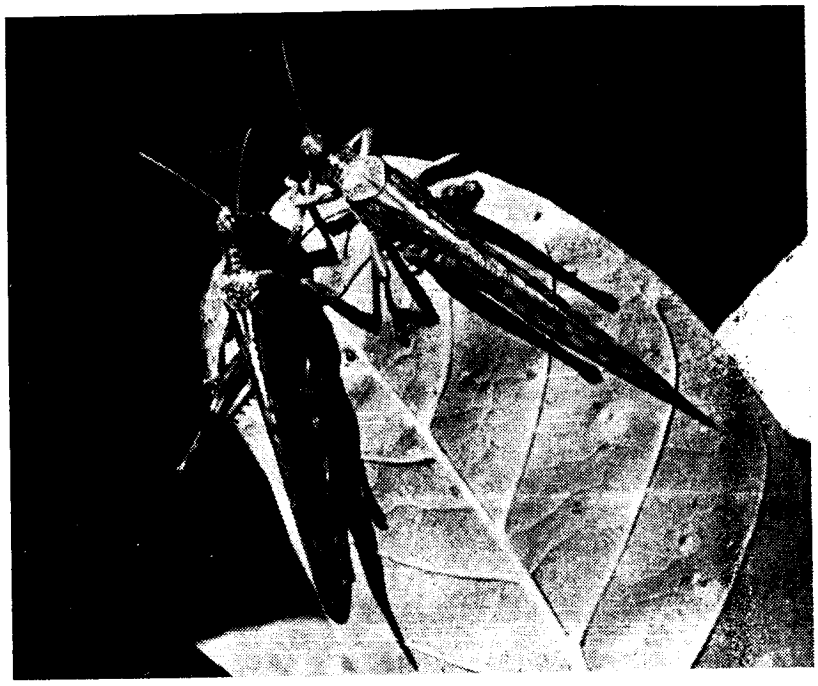

हरियाली के दुश्मन टिड्डी दल जो देखने में तो काफी छोटे होते हैं लेकिन ये हमें कितनी हानि पहुंचा सकते हैं इसकी कल्पना करना कठिन है। इनका पहला आक्रमण ही हमें आमूल नष्ट करने के लिए काफी है। आप को जानकर आश्चर्य होगा कि ये टिड्डी दल सैकड़ों एकड़ हरे-भरे खेतों को महीनों या दिनों में नहीं बल्कि घण्टों या मिनटों में चटकर डालते हैं। अगर निकट भविष्य में इन्हें नष्ट न किया गया तो इसके कारण विश्व में अकाल पड़ सकता है। आर्थिक संकट विकट रूप धारण कर सकता है और लोगों को भूखों मरने की नौबत आ सकती है।

हजारों मील की यात्रा के दौरान में टिड्डी दल जगह-जगह अण्डे देते चलते हैं। ये सैकड़ों, हजारों की तादात में अंडे देते हैं। इसलिए इनकी संख्या सैकड़ों गुना बढ़ती है। बड़े विचित्र प्रकार के जन्तु हैं ये। लन्दन के एक कृषि वैज्ञानिक का कहना है कि 'सबसे पहले मैंने जिस टिड्डी दल को देखा था वह लगभग 400 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ था और इनकी संख्या करीब 20 अरब थी। वास्तव में इतनी टिड्डियां कल्पना से बाहर की बात है। ये टिड्डी दल 1958 के दिसम्बर में दक्षिण इथोपिया के एक नगर में देखा गया था।'

सम्भव है आप ने भी कभी इन टिड्डियों के बादल को आसमान में उड़ते हुए देखा हो। खासी बड़ी तादात में टिड्डियां आसमान में बड़ी ऊंचाई पर उड़ती हुई दिखलाई पड़ती हैं। एक वैज्ञानिक ने उसका बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। उसके अनुसार 'हम गाड़ी में जा रहे थे। देखते-देखते टिड्डियों ने हमें घेर लिया। दूर-दूर तक टिड्डियों के सिवा हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता था। खेतों में खड़ी फसलों का क्या हाल था यह मत पूछिए। पूरी फसल चट करने में टिड्डी दल जुटे हुए थे। किसान टिन और ढोल पीटकर उन्हें उड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन टिड्डियों पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। सारी खड़ी फसल देखते ही देखते मेरे ही सामने बर्बाद हो गयी थी। ऐसा लगता था जैसे पशुओं के झुंड ने सारी फसल चाट डाली हो। सबसे आश्चर्य की बात उस टिड्डी दल का शोर था। इतना अधिक शोर था जैसे हवाई पट्टी पर हवाई जहाज उतरते और उड़ान भरते हैं। सारी फसल गाजर मूली की भांति टिड्डियों ने अपने छोटे-छोटे पेटों के हवाले कर दी थी और फसलों के खाने का शोर इस प्रकार था जैसे सैकड़ों व्यक्ति गाजर मूली खा रहे हों। कितना भयानक नाटकीय दृश्य था वह।

संसार के सभी गर्म देशों में टिड्डियां होती हैं। भारत, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में। कुछ न कुछ विशेष बातें सभी प्रकार की टिड्डियों में होती हैं। ये एक जगह अंडे देती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। जहां जहां-वर्षा शुरू होती जाती है वहां-वहां ये जाती हैं और वर्षा के साथ ही उसी दिशा में बढ़ती जाती हैं।

ये छोटे-छोटे जन्तु आखिर इतने विनाशकारी क्यों हैं? सबसे खतरनाक होती है उनकी संख्या। ये टिड्डी अपने वजन के बराबर फसल खा जाती है। यही कोई 2 ग्राम के करीब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत कम है लेकिन नहीं। जरा आप कल्पना कीजिए कि जिस टिड्डी दल को हमने 400 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ बताया है इतना बड़ा टिड्डी दल करीब 80 हजार टन भोजन एक दिन में चट कर डालता है। जी हां, चौंकिए नहीं 80 हजार टन।

दूसरा कारण है इस विशाल टिड्डी दल की सेना से बचाव के लिए हमारे किसानों के पास पर्याप्त साधन नहीं है। कभी-कभी वर्षों तक इनका पता ही नहीं चलता। जब इनका अचानक हमला होता है और इनकी सेना इतनी विशाल होती है कि सारे परम्परागत तरीके इनके आगे बेकार हो जाते हैं। और फसल नष्ट होने पर अपने दुर्भाग्य पर रोने के अलावा और कुछ नहीं बचा होता।

टिड्डियों की बिरादरी में सबसे खतरनाक टिड्डी होती है रेगिस्तानी टिड्डी। विडम्बना यह है कि इनके आक्रमण के शिकार विश्व के निर्धन देश ही होते हैं। रेगिस्तानी टिड्डियों का हमला विभीषिका का रूप धारण कर सकता है। दुनिया के 57 देश इनकी चपेट में आते रहे

हैं । पश्चिम एटलांटिक महासागर से लेकर पूर्व में आसाम तक और दक्षिण में अफ्रीका के तंजानिया से लेकर उत्तर में मध्य व पूर्व तक ये टिड्डियां अक्सर अपना आक्रमण करती रहती हैं । इसमें भी यह सागर और अदन की खाड़ी के तटवर्ती प्रदेशों में ये बड़े तोर पर आक्रमण करती हैं ।

पिछली 150 सालों में रेगिस्तानी टिड्डियों ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है । करीब 16 वर्ष के बाद ये इतनी खतरनाक सिद्ध हुई हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती । ये इतनी तेजी से बढ़ रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कृषि और खाद्य संगठन को उसका सामना करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करनी पड़ी है ।

रेगिस्तानी टिड्डी नियंत्रण कमेटी का 23 वां सम्मेलन इस वर्ष रोम में हुआ था । इसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । भारत की ओर से प्रतिनिधि के रूप में प्रो० किशन पहाड़िया इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे । उनका कहना है कि 16 वर्ष के पश्चात् पिछले वर्ष भारत को इन टिड्डियों का सामना करना पड़ा था । इनका आक्रमण 6 महीने की अवधि में तीन बार हुआ 1978 के जून के आरम्भ में इनका पहला आक्रमण हुआ और अक्तूबर के अन्त तक इससे मुक्ति नहीं मिल सकी । रेगिस्तानी टिड्डी पाकिस्तान की ओर से आती हैं और राजस्थान में इनका पहला पड़ाव होता है । लेकिन इस बार अरब सागर की ओर से आईं और भारत के उत्तरी पश्चिमी समुद्र तट पर भारी संख्या में मारी गईं । इनका पहला आक्रमण 40 दिन तक रहा । विशाल टिड्डी दल छोटे दलों में विभाजित हो गया । तभी जून में काफी जोरों की बरसात हुई और गुजरात तथा राजस्थान के क्षेत्रों में फैल गई । इन छोटे-छोटे टिड्डी दलों को खोजने में भारत को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा । जहां इनकी संख्या काफी थी वहां हेलीकाप्टरों और जहाजों द्वारा दवाइयों का छिड़काव करना पड़ा ।

पिछले वर्ष इन टिड्डी दलों ने लाल सागर के देश इथोपिया और सोमालिया के देशों में सबसे अधिक नुकसान किया । इसके अतिरिक्त, सुडान, भारत, पाकिस्तान में भी इनका आक्रमण तेज रहा ।

1977 में रेगिस्तानी टिड्डियों के विकास के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कृषि एवं खाद्य संगठन के एक अधिकारी का कहना है कि 'इनकी शुरुआत मध्य जून में हुई जबकि पूर्वी अरब सागर में तूफान आया और मनीला में इतनी जबर्दस्त बारिश हुई कि पिछले सभी रिकार्ड टूट गए । 24 घंटों में 431 मि० मी० वर्षा हुई । संयुक्त अरब अमीरात में टिड्डियां पहुंची और उन्होंने फसल नष्ट करनी प्रारम्भ कर दी । ये इतनी तेजी से बढ़ीं की सोमालिया सऊदी अरब, यमन आदि देशों में टिड्डी दल भारी तादात में फैल गए । मार्च, 1978 तक इसकी संख्या इतनी बढ़ी कि काबू पाना मुशिकल हो गया ।

पिछले दिनों में काफी टिड्डी दलों को नष्ट कर दिया गया है । आशंका पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है लेकिन खतरा इतना भारी नहीं रह गया है कि जितना पहले था । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका सामना किया गया और हरियाली के रक्षकों ने लगभग इन पर काबू पा लिया है ।

पिछले वर्ष दक्षिणी अफ्रीका में टिड्डी दलों का भयंकर आक्रमण हुआ था । इनको नष्ट करने के लिए सबसे पहले यह पता लगाना होता है कि टिड्डी दल है कहां ? दवाओं के इस्तेमाल के समय टिड्डियां जिस दिशा में जाती हुई मरती हैं उससे यह पता चलता है कि टिड्डियां किस दिशा में गई हैं । इसके पहले कि वे अगले स्थान पर फसल नष्ट करें उसके पहले ही वहां पहुंचना आवश्यक होता है । सूरज निकलने के पहले ही वहां पहुंचना चाहिए । सबेरे आठ बजे के पहले टिड्डियां बाहर निकलती हैं और यही दवा छिड़कने का सबसे अच्छा समय होता है । लेकिन अगर टिड्डियां उड़ना प्रारम्भ कर देतीं हैं तो हवाई जहाज या हेलीकाप्टर से उन पर छिड़काव करना आवश्यक होता है । दवा का इस्तेमाल किया जाता है जिससे टिड्डियां दम तोड़ देती हैं । पहले ये धरती पर गिर जाती है फिर सुस्त पड़ जाती हैं और उसके बाद पंख फड़फड़ा कर मर जाती हैं । कुछ टिड्डियों पर असर काफी देर से पड़ता है और यह काफी हद तक उड़ती जाती है । कुछ देर तक उड़ने के पश्चात् ये भी नष्ट हो जाती हैं ।

मरी हुए टिड्डियों को देखकर उनके बारे में कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता है । एक अधिकारी का कहना है कि ठीक अन्दाजा इस बात का लगाया जाना मुश्किल है कि इनकी संख्या क्या होती है लेकिन इनका वजन बताया जा सकता है । वे टिड्डी दल जो 20 वर्ग कि० मी० में फैला हो उसका वजन जो मरने के बाद अन्दाजा लगाया गया है करीब 20 टन होता है । अब आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि अगर ये नहीं मारी जातीं तो कितने टन अनाज और फसल चौपट कर देतीं ।

हवाई जहाज या हेलीकाप्टर से जब टिड्डी-दल का सामना किया जाता है तो वास्तव में वह कुछ दूसरा ही दृश्य होता है । पृथ्वी पर जीप व आसमान में हवाई जहाज व हेलीकाप्टर का प्रयोग किया जाता है । आक्रमण दोनों तरफ से किया जाता है । युद्ध

(शेष पृष्ठ 36 पर)

अन्त्योदय क्यों और कैसे ?

शशिकान्त भटनागर

उत्तर प्रदेश में इस वर्ष गांधी जयन्ती के पुनीत पर्व से आरम्भ अन्त्योदय का कार्यक्रम वर्तमान शासन की एक नई क्रान्तिकारी योजना है, जिससे उन लाखों निर्धनतम उपेक्षित परिवारों को विकास कार्यक्रमों का लाभ मिल सकेगा, जो अब तक उपेक्षित रहे हैं।

पिछले 30 वर्षों में विकास की जो योजनाएं चलाई गई हैं उनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन व्यक्ति, लघु सीमान्त कृषकों व आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्ग को अपेक्षाकृत यथेष्ठ लाभ नहीं पहुंचा है। निर्धन व्यक्तियों के रहन-सहन के स्तर में भी अभीष्ट परिवर्तन नहीं हुआ है। उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार नहीं आया है। इसलिए शासन ने यह निर्णय लिया है कि विकास योजनाओं का अत्यधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनतम परिवारों को मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से शासन ने स्थानीय विकास योजना का श्रीगणेश किया है। इसमें अन्त्योदय योजना को प्रमुख महत्व दिया गया है। अन्त्योदय का अर्थ है, आर्थिक सीढ़ी के अन्तिम व्यक्ति का विकास।

अन्त्योदय कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सबसे निर्धन परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम के पांच सर्वाधिक निर्धन परिवारों का चयन किया जाएगा। इस प्रकार चयनित किए गए सर्वाधिक निर्धन परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए प्राथमिकता के आधार पर सारे राज्य में समयबद्ध प्रयास द्वारा कार्यक्रम के निश्चित लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं। अन्त्योदय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में निम्न तीन प्रमुख कदम हैं :—

1. निर्धनतम परिवारों का चयन।
2. चयन के पश्चात् उनके उत्थान के लिए योजना का निर्माण व उसको कार्यरूप में परिणत करना।
3. कार्यक्रम से वास्तव में इन परिवारों की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ है, इसका अध्ययन व समय समय पर प्रकट होने वाली कठिनाइयों का निराकरण।

निर्धनतम परिवारों के चयन के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम सेवक अलग-अलग ग्रामों में ग्राम सभा की बैठक पंचायत सेवक द्वारा बुलवाकर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार उक्त ग्राम के सबसे निर्धन पांच परिवारों का चयन करेगा।

ग्राम सभाओं की बैठकों की सूचना नियमानुसार ग्राम में दी जानी चाहिए जिससे बैठक में ग्राम सभा के अधिकाधिक लोग भाग ले सकें। ग्राम सभाओं का कार्यक्रम खण्ड विकास अधिकारी बनाएंगे तथा क्षेत्रीय संसद् सदस्यों व विधायकों को इस संबंध में सूचित करेंगे ताकि यदि वे चाहें तो बैठकों में भाग ले सकें। ग्राम सभाओं की बैठकों में यथा सम्भव अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास), जिला विकास अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी भी भाग लेंगे।

ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही का विवरण पंचायत सेवक द्वारा मौके पर लिया जाएगा व ग्राम सभा में उपस्थित व्यक्तियों की सूची बैठक में ही बनायी जाएगी व उनके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लिए जाएंगे।

चयन के समय ग्रामसभा को ग्राम सेवक या अन्य उपस्थित अधिकारी द्वारा इस बात की सूचना दी जाएगी कि चयन की प्राथमिकता मुख्य रूप से निम्न प्रकार होगी :—

1. पहली प्राथमिकता में ये परिवार आएंगे जिनके पास न तो भूमि है और न ही पशुधन या स्थायी आय का अन्य कोई साधन है।
2. दूसरी श्रेणी में ऐसे परिवार आएंगे जिनके पास भूमि या पशुधन तो नहीं है लेकिन परिवार में एक या दो व्यक्ति मजदूरी करने जाते हैं और मजदूरी से इन्हें औसत पांच व्यक्तियों के परिवार के लिए 2,000/- रुपये से कम की आर्थिक आय होती है।
3. अन्य परिवार, जिनके पास सिंचित भूमि की दशा में 0-404 हैक्टेयर और असिंचित भूमि की दशा में 1-00 हेक्टेयर से कम भूमि है और जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं।

चयन के समय ऐसे निर्धन परिवारों को ग्राम सभा की बैठक में बुला लिया जाएगा ताकि ग्राम सभा के संयोजक उनसे भी बात कर सकें। ग्राम सभा की बैठक में विचाराधीन प्रत्येक परिवार की आय तथा आय के साधनों के विषय में भी विचार किया जाएगा। ग्राम सभा में किसी परिवार के चयन के संबंध में उत्पन्न मतभेद का वहीं समाधान किया जाएगा तथा सूची को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

चयन के पश्चात् उसी बैठक में चयनित परिवारों के संबंध में जो प्रपत्र निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार उन्हें अस्थायी परिचय-पत्र दिया जाएगा, उसी समय इन परिवारों से विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा और उनसे यह पूछा जाएगा कि किस प्रकार की सहायता से उनकी आय में वृद्धि हो सकती है। इन परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए कृषि उत्पादन, पशु व सुअर पालन, मछली पालन, कुटीर उद्योग आदि के लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती है। इसका विचार ग्राम सभा में किया जाएगा और ग्राम सभा

[illegible] को जाएगी ।

ग्राम सेवक यह सूचना एकत्रित कर अपनी सम्मति के साथ संबंधित खण्ड विकास अधिकारी को भेजेंगे । ग्राम सभा में अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् चयनित परिवारों की सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

खण्ड विकास अधिकारी ग्राम सभा स्तर पर सभी ग्रामों व उनमें चयनित अन्त्योदय परिवारों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में ग्राम सेवक के माध्यम से संकलित करेंगे । अन्त्योदय परिवार से ऋण अनुदान के प्रार्थनापत्र ग्राम सेवक के माध्यम से तैयार कराएगें तथा उन्हें संबंधित अधिकारी के पास ऋण अनुदान स्वीकृति हेतु भेजेंगे । अनुदान की स्वीकृति जिला स्तर पर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद् द्वारा की जाएगी । यह सब कार्य अपने अपने स्तर पर राजकीय कर्मचारी स्वयं करवाएंगे । अन्त्योदय परिवारों को कहीं भाग-दौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसे तो केवल अपने खण्ड विकास अधिकारी ग्राम सेवक या पंचायत सेवक से सम्पर्क करना होगा ।

ऋण अनुदान स्वीकृति के पश्चात् भी यह आवश्यक होगा कि चयनित परिवारों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए समय-समय पर दौरों के समय अन्य कार्यों के साथ इन परिवारों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाए । कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में विहित प्रपत्र में खण्ड विकास अधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास), जिला विकास अधिकारी को पाक्षिक सूचना भेजेंगें।

जिलास्तर पर अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास), जिला विकास अधिकारी कार्यक्रम की प्रगति देखने व समन्वयन का कार्य जिलाधिकारी के निर्देशन में करेंगे । कार्यक्रम की प्रगति, समीक्षा व दिशा निर्देश देने का कार्य शासन स्तर पर गठित कार्यकारी दल द्वारा किया जाएगा ।

इन परिवारों को ऋण अनुदान दिये जाने की नियमावलि जुलाई 29,1978 को असाधारण गजट में प्रकाशित की जा चुकी है । अन्त्योदय परिवारों को 5,000/-रु० तक ऋण दिया जा सकता है । उनके द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जा सकता है । 2500/- रुपये तक का ऋण एक मुश्त में स्वीकृत किया जाएगा व उससे अधिक का ऋण आवश्यकतानुसार किश्तों में दिया जाएगा । इन परिवारों के लिए ब्याज की रियायती दर रखी गई है, जो केवल 4 प्रतिशत है । उनसे प्रथम वर्ष में कोई ब्याज वसूली नहीं की जाएगी । ऋण की धनराशि ऐसे मामलों में 8 वर्ष में वसूल की जा सकती है । यदि कोई परिवार चाहेगा तो ऋण की धनराशि का भुगतान उससे कम समय में भी कर सकता है । इन परिवारों के लिए ऋण/अनुदान दिए जाने की प्रक्रिया जो उपरोक्त नियमावलि में निर्धारित की गई है, बहुत सरल है । इसलिए यह सुनिश्चित करना होगा कि इस सरल प्रक्रिया को भी अपनाने में उन्हें अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े । जो धनराशि इन परिवारों को अनुदान के रूप में देनी होगी वह उनके ऋण के खाते में ही [illegible] कर दी जाएगी । ऋण की धनराशि योजना में उल्लिखित वस्तु के प्रदायक को दी जाएगी परन्तु वस्तु उधारग्रहीता को स्वीकार होनी चाहिए । ऋण/अनुदान के उपयोग के संबंध में प्रगति रिपोर्ट ग्राम सेवक के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रेषित की जाएगी । अन्त्योदय परिवारों के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह अन्य अनुदान प्राप्त व्यक्तियों की तरह निर्धारित प्रपत्रों में लेखा जोखा रखें ।

इस प्रकार से अन्त्योदय कार्यक्रम के द्वारा पूज्य बापू की दरिद्रनारायण की सेवा की कल्पना साकार करने का प्रयत्न किया जा रहा है । मुझे विश्वास है कि इसके सफल कार्यान्वियन में उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहेगा ।●

आयुक्त सचिव

कृषि उत्पादन तथा ग्राम विकास

उत्तर प्रदेश

जनसंख्या नियन्त्रण व सहकारिता

[पृष्ठ 9 का शेषांश]

के राष्ट्रीय संस्थान ने अपनी खोजों से यह सिद्ध कर दिया है कि जितना बड़ा परिवार होगा उतनी ही व्यापक कुपोषण की समस्या होगी । सहकारी समितियां ग्राम स्तर पर इस आशय के प्रचार प्रसार का कार्य कर सकती हैं तथा इसके लिए स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय से प्राप्त साहित्य का वितरण कर सकती हैं । पोषण के महत्व के प्रसार के दृष्टिकोण से समय समय पर गोष्ठियां भी आयोजित की जा सकती हैं ।

(3) नागरिक तथा सामाजिक शिक्षा

जन संख्या समस्या के मूल पर प्रहार करने के लिए बाल-विवाह, दहेज-प्रथा आदि सामाजिक समस्याओं का भी निराकरण करना आवश्यक है । यद्यपि संशोधित अधिनियम के अनुसार अब लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा लड़की के विवाह की उम्र 18 वर्ष कर दी गई है, लेकिन इसके सख्ती से पालन करवाने में सहकारी समितियां अपना योगदान दे सकती हैं । दहेज प्रथा (जिसके कारण बाल विवाह को बल मिलता है) को भी अकेला कानून समाप्त नहीं कर सकता । सहकारी समितियां प्रौढ जागरण के लिए क्रियात्मक शिक्षा पर ध्यान दे सकती हैं ।

सीमित परिवार में विश्वास करने वाले तथा आपरेशन करवाने के इच्छुक व्यक्तियों को समितियां ब्याज मुक्त ऋण, ऋण के भुगताग में रियायत, कम मूल्य पर उर्वरकों तथा कृषि उपकरणों की उपलब्धि करवाकर उत्प्रेरित कर सकती हैं तथा उसके लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधा (आपरेशन के बाद) उपलब्ध करवा सकती हैं । इसके अतिरिक्त "निरोध" तथा अन्य गर्भ निरोधकों का समितियों के माध्यम से निशुल्क वितरण भी किया जाना चाहिए ।

जनसंख्या वृद्धि विस्तार तथा उससे सम्बन्धित हमारे आर्थिक नियोजन के फलों को बढ़ाने नहीं देती तथा विकास की दर को ऋणात्मक बनाती जा रही है । जैसा कि श्री जय प्रकाश नारायण ने अभी कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण जीवन-मरण का प्रश्न है । सरकार ऐच्छिक संस्थाओं व समाज सेवियों के संयुक्त प्रयास के बल पर जन संख्या वृद्धि पर काबू पाया जा सकता है ।

भूमि के उचित उपयोग के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण

डा. एम. एस. स्वामीनाथन

हाल ही में अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान (इंडियन इन्स्टीट्यट आफ मैनेजमेंट) में एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इस संगोष्ठी में अपने देश में चालू और आने वाले वर्षों में भूमि के उचित उपयोग के बारे में विचार किया गया। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से भी इतनी अधिक भूमि पर खेती की जाती है जितनी वांछनीय नहीं है।

कुछ भौगोलिक क्षेत्र 32.38 करोड़ हेक्टेयर में से 17.1 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में 1975-76 के दौरान खेती की गई। जंगल लगभग 6.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि में थे जो धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अधिक क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है। इस प्रकार सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अगले पांच वर्षों के दौरान 1.7 करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधा पहुंचाए जाने का प्रस्ताव है।

कुछ सिंचित क्षेत्रों में पानी के जमाव और खारापन की समस्याएं हैं। अनुमान है कि लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि लवण और क्षार युक्त है और लगभग 28,600 वर्ग किलोमीटर भूमि शुष्क है।

हमारे देश की कृषि व्यवस्था और आबादी का भविष्य भूमि और जल स्रोतों के प्रबंध पर निर्भर होगा। अहमदाबाद संगोष्ठी में भूमि के इस्तेमाल की समस्याओं पर विचार किया गया। इन समस्याओं पर कृषि उत्पादकता पैदावार में स्थिरता, रोजगार और आय बढ़ाने और पारिस्थितिक संतुलन के संदर्भ में विचार किया गया।

जमीन का प्रबंध

लगभग 10 हजार वर्ष पूर्व कृषि और खेती के काम में आने वाले पशुओं के बारे में सोचा गया। तब से भूमि के उचित प्रबंध के तरीकों पर ध्यान दिया जाने लगा। प्रकृति में पौधे बिना जोत के पैदा हो जाते हैं। परन्तु खेती के लिए जमीन को तैयार करने के लिए जोताई की समस्या का सामना करना पड़ा है। जोत के विभिन्न तरीकों को अपनाया जाता है। खेती से जमीन का कटाव बढ़ता है। इसलिए अब जमीन को कम से कम जोतकर, रासायनिक औषधियों द्वारा खरपतवार नष्ट करके खेती करने के बारे में प्रयास किए जा रहे हैं।

प्राचीन किसानों ने फिर भी भूमि के उपजाऊपन को बनाए रखने और कीट-नाशक दवाओं के इस्तेमाल को कम करने के लिए अलग-अलग खेती करने के तरीकों को शुरू किया था। उत्तर-पूर्व हिमालय क्षेत्र में झूम की खेती अब भी की जाती है। झूम की खेती से भूमि के उपजाऊपन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

भूमि की चकबन्दी की कमी और देश के अधिकतर भाग में समतल भूमि के न होने से भूमि और जल का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध करना बहुत ही कठिन बन गया है। हमारे देश में जल और वायु से भूमि का कटाव होता है। कुछ तटीय क्षेत्रों में समुद्र के कारण भी कटाव हो रहा है।

यद्यपि ऐसा विश्वास किया जाता है कि राजस्थान का मरुस्थल नहीं बढ़ रहा है तथापि पश्चिम राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में भूमि पर आदमी और जानवरों का बोझ बढ़ते जाने से वहां स्थिति खराब हो रही है।

परिस्थितिक आधार की सुरक्षा

भूमि पर मकान बनाने, संचार, उद्योग, मनोरंजन और अन्य उद्देश्यों जैसे ईंट बनाने आदि के लिए जमीन की मांग भी बढ़ती जा रही है। प्रश्न यह है कि इन आवश्यकताओं को देखते हुए भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिएं?

विश्व के विभिन्न देशों ने उचित कानून लागू करके भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन देने की योजनाएं बनाई हैं। उदाहरण के तौर पर, श्रीलंका की सरकार से न्यूनतम उत्पादकता अधिनियम लागू किया है। इसके अन्तर्गत यदि जमीन का मालिक कुछ वर्षों तक जमीन पर कोई खेती नहीं करता तो राज्य को उस जमीन को कब्जा लेने का अधिकार है। अन्य शब्दों में, जमीन का मालिक अपने निजी लाभ के लिए जमीन का प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर सकता है परन्तु उसे जमीन की क्षमता को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है।

पारिस्थितिक सुरक्षा के आधार पर एक प्रभावी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की जा सकती है। इस प्रणाली से खेती के महत्व की, जमीन, पानी, वनस्पति जन्तु आदि को बढ़ाया जा सकता है। और इसमें सुधार किया जा सकता है। जमीन के अनुचित उपयोग के लिए जिम्मेदार कारणों को समझने और उसे रोकने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर, हिमाचल क्षेत्र में अंधाधुन्ध जंगल कटाई से पारिस्थितिक संतुलन समाप्त हुआ, जिसके कारण गंगा के तराई के मैदानों में समय-समय पर बाढ़ आ जाती है। पहाड़ों में महिलाओं को ईंधन और लकड़ी को एकत्र करने के लिए कई घंटों लगाने पड़ते हैं।

उपयुक्त स्थानों पर पेड़ लगाने से लोगों की ईंधन और लकड़ी की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, लोगों को पेड़ नहीं काटने चाहिएं। न्यूनतम आवश्यकता से कार्यक्रम में ईंधन और लकड़ी की सप्लाई भी शामिल होनी चाहिए ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे।

इसी प्रकार, सभी विकास परियोजना का सामाजिक, पारिस्थितिक और आर्थिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करना होगा यदि सिंचाई के परिणाम स्वरूप नमक की भूमि की सतह पर आने की संभावना हो,

[शेष पृष्ठ 24 पर]

देवनागरी में तार सेवा के ३० वर्ष

श्री जगन्नाथ

इस वर्ष की पहली जून को देवनागरी तार सेवा को चालू हुए 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। संयोगवश, केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों को और अपने सभी कार्यालय प्रमुखों को ऐसे आदेश दिये हैं कि 1979 के पूरे वर्ष को "राजभाषाओं का वर्ष" के रूप में मनाया जाए जिसमें केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग सम्बन्धी आदेशों का गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन कराया जाए तथा राज्य सरकारों के काम-काज में उनकी भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। अतः यह जरूरी हो जाता है कि देवनागरी तार सेवा की 30वीं वर्षगांठ पर हम इसकी अब तक की उपलब्धियों का लेखा-जोखा करें तथा आगे के लिए इस सेवा को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए उपाय सोचें। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देवनागरी लिपि के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं में तार दिये जा सकते हैं और वे रोमन लिपि में दिए गये तारों की अपेक्षा सस्ते पड़ते हैं।

2. सरकारी और व्यापारिक कार्यालयों में कार्य को शीघ्रता से सम्पादित कराने के लिए तारों की विशेष भूमिका होती है। भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद डाक तार महानिदेशालय ने इस बात पर विचार करके कि किस प्रकार भारतीय भाषाओं में भी तार दिए जाएं, अपनी परिपक्व सूझ-बूझ का परिचय निम्नलिखित भागों पर, 1 जून, 1949 को देवनागरी तार सेवा का प्रारम्भ करके दिया था:—

(1) आगरा—इलाहाबाद
(2) इलाहाबाद—वाराणसी
(3) कानपुर—लखनऊ
(4) पटना—गंगा,
(5) नागपुर—जबलपुर

देवनागरी तार घरों का विस्तार

3. विगत 30 वर्षों में देवनागरी तार घरों का निरन्तर विस्तार हो रहा है। जहां 1949–50 वर्ष में इनकी संख्या मात्र 12 थी, वहां पहले दशक की समाप्ति पर, 1959–60 वर्ष में 1952 तारघरों में यह सेवा चालू हो चुकी थी। 1971-72 वर्ष में [illegible] पूरा होते होते इन तारघरों की संख्या 4,440 पहुंच गई। इसके पश्चात् के वर्षों के उपलब्ध आंकड़े इस प्रकार हैं :—

1974–75	6646
1975–76	7896
1976–77	8533
1977–78	9878

देवनागरी टेलीग्राफिस्टों को प्रोत्साहन

4. डाक तार विभाग का निरन्तर यह प्रयास है कि यथाशीघ्र इस सेवा का विस्तार सभी तारघरों में हो जाए। इसके लिए पर्याप्त संख्या में टेलीग्राफिस्टों की आवश्यकता होगी। स्टाफ को देवनागरी मोर्स 'की' को सीखने के लिए प्रोत्साहन देने के हेतु उन्हें इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर दो वेतन वृद्धियां दी जाती हैं। इसी प्रकार देवनागरी टेलीप्रिंटर पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वालों को दो अग्रिम वेतन वृद्धियां भी दी जाती हैं। टेलीग्राफिस्टों को निश्चित सीमा से अधिक देवनागरी तारों के निपटान पर रोमन लिपि के तारों के बराबर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।

देवनागरी तारों की लोकप्रियता

5. जैसा कि इस लेख के आगे स्पष्ट किया जाएगा देवनागरी में तार अंग्रेजी तारों की अपेक्षा सस्ते पड़ते हैं। देश में भारतीय भाषाओं के प्रति प्रेम भी बढ़ता जा रहा है। इन दो कारणों से बुक किए गए देवनागरी तारों की संख्या में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है।

वर्ष	संख्या
1949–50	2,570
1959–60	1,22,747
1972–72	9,51,798
1974–75	13,23,900
1976–77	15,27,900

देवनारी में तार सस्ते क्यों ?

6. डाक-तार महानिदेशालय ने कुछ इस प्रकार के नियम बनाए हैं कि देवनागरी में तार अंग्रेजी तारों की अपेक्षा निश्चित रूप से सस्ते पड़ते हैं। पाठकों की जानकारी के लिए कुछ नियमों के महत्वपूर्ण अंश नीचे दिए जा रहे हैं।

मात्राओं को अलग अक्षर नहीं गिना जाता

जैसे क ई(की) को एक ही अक्षर माना जाता है। किन्तु अंग्रेजी में (टू) दो अक्षर गिने जाएंगे।

संयुक्त क्रियावाचक वाक्यांश :—

अधिक से अधिक दस अक्षरों वाला संयुक्त क्रियावाचक वाक्यांश भी यदि शब्दों को मिला कर एक शब्द के रूप में

लिखें तो तार चार्ज के लिए एक ही शब्द गिना जाता है। जैसे आ रहा हूं, भेज दिया गया, पहुंचा दिया जाएगा, इनको एक शब्द माना जाएगा। अंग्रेजी तार के हिसाब से has been sent आदि तीन शब्द माने जाएंगे।

विभक्तियों के चिह्न अथवा संबंध सूचक शब्द :—जैसे ने, को, लिए, का, को, के, में, ये पर, से, आदि को पहले शब्द के साथ मिलाकर लिखने से—जैसे: मोहन को, दिल्ली में, राम के लिये, स्टेशन पर, विभक्ति मिला हुआ शब्द एक ही गिना जाएगा। अंग्रेजी में to Mohan आदि दो शब्द गिने जाएंगे।

संधि युक्त शब्द एक गिने जाते हैं :— जैसे अति आवश्यक—'अत्यावश्यक' एक शब्द माना जाता है। अंग्रेजी में Very important आदि दो शब्द गिने जाएंगे।

समोस युक्त शब्द भी एक ही गिने जाते हैं :—यदि बीच में स्थान व छोड़ा जाए और 10 से अधिक अक्षर न हों तो प्रधानमंत्री, महामंत्री, प्रधानसम्पादक, सहायक सम्पादक, आदि एक ही अक्षर गिने जायेंगे। अंग्रेजी में Prime Minister आदि दो शब्द गिने जाएंगे।

30 वीं वर्षगांठ कैसे मनाएं

इस सेवा की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर सरकार और जनता दोनों ही का यह कर्त्तव्य है कि इस सेवा के विषय में व्यापक प्रचार किया जाए, क्योंकि रोमन लिपि में भेजे गए तारों की अपेक्षा देवनागरी में दिए गए तारों का अनुपात बहुत कम है। इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट निकाला जाना चाहिए जैसा कि डाक तार महानिदेशालय अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर करता है। पोस्टरों एवं अन्य प्रचार साहित्य द्वारा इस सेवा की विशेषताओं का भी प्रचार किया जाना चाहिए। उद्योगपतियों, व्यापारियों और छात्रों की गोष्ठियां बुलाकर उन्हें उपयुक्त जानकारी दी जानी चाहिये। संक्षेप में, एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाना जरूरी है जिससे कि 'राजभाषाओं के वर्ष' के अन्त तक देवनागरी तार सेवा का सभी पूरा प्रयोग कर सकें और उनका अनुपात अपेक्षित सीमा तक बढ़ जाए।

देवनागरी तार सेवा की विशेषता एक और भी है। इसके द्वारा अंग्रेजी को छोड़कर देश की सभी भाषाओं के देवनागरी लिपि में लिखे तार भेजे जा सकते हैं। इस प्रकार हिन्दी तार भाषी राज्यों के स्वाभिमानी देशवासी भी देवनागरी तार सेवा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। आइए, हम इस सेवा को इसकी तीसवीं वर्ष गांठ पर समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने का संकल्प लें।

भूमि के उचित उपयोग के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण

[पृष्ठ 22 का शेषांश]

तो सिंचाई प्रबंधों के साथ-साथ नालियों का भी प्रबंध करना चाहिए।

इसी प्रकार इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। भूमि का उपजाऊपन व्यापक पैमाने पर पेड़ लगाने से सुधारा जा सकता है। लगातार भारी वर्षा से बाढ़ के खतरे को टाला जा सकता है।

पहाड़ों में सड़कों के निर्माण के कारण होने वाले भूमि-स्खलन और कटाव को रोकने के लिए सड़कों की ढलान को पक्का कर देना चाहिए। सड़कों आदि के निर्माण से पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को अनाज पहुंचाया जा सकता है। यदि पहाड़ी इलाकों और कटाव से प्रभावित क्षेत्रों में उपयुक्त अनाज भंडार की सुविधा तैयार की जाती है तो ढलानों पर जो लोग चावल या रागी की फसल बोते हैं, वे लोग वैकल्पिक धन्धों जैसे फलोत्पादन, पशुपालन आदि को अपनाएंगे।

भूमि उपयोग आयोग

अहमदाबाद संगोष्ठी ने केन्द्र और राज्य स्तरों पर भूमि उपयोग आयोग स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि भूमि उपयोग के सभी पहलूओं पर कारवाई की जा सके। संगोष्ठी ने जलाशय विकास प्राधिकरणों की स्थापना का भी सुझाव दिया है। संगोष्ठी ने सिफारिश की है कि जल और पानी संरक्षण उपायों को जल विभाजक आधार पर विकसित किया जाए। इन सभी सिफारिशों को वैज्ञानिक जानकारी और कारवाई के माध्यम से वास्तविकता का रूप दिया जा सकता है।

इस शताब्दी के आरंभ में जिन क्षेत्रों को निराशाजनक मरुस्थल माना जाता था, आज वहां खेती की जा सकती है।

इसके विपरीत कई विकासशील देशों में उपजाऊ कृषि क्षेत्र इस समय मरुस्थल बनते जा रहे हैं मनुष्य मरुस्थल को कृषि योग्य बना सकता है या कृषि भूमि को मरुस्थल में बदल सकता है।

ग्राम विद्युतीकरण के आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव

राम कुमार

[illegible]

के साथ पहाड़ियों पर [illegible] रोशनी को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं पहाड़ियों की उन ऊंची-ऊंची चोटियों से 'विद्युत् प्रकाश' धीरे-धीरे नीचे उत्तर कर गांवों की ओर बढ़ रहा है जहां सदियों से नन्हें-नन्हें दीपक मुस्काते तो हैं परन्तु आंधी के झोकों के सामने टिक नहीं पाते। भारत गांवों में बसता है और कृषि इस देश की जीविका का मुख्य साधन है। किसान मानसून पर निर्भर रहता है। गांव-गांव में बसे इन किसानों के लिए 'विद्युत्-प्रकाश या विद्युत्-शक्ति' का क्या अर्थ है —यह सवाल भी चम्बल की घाटियों में उत्पन्न इस विपुल विद्युत् शक्ति के परिप्रेक्ष्य में दिमाग में आता है।

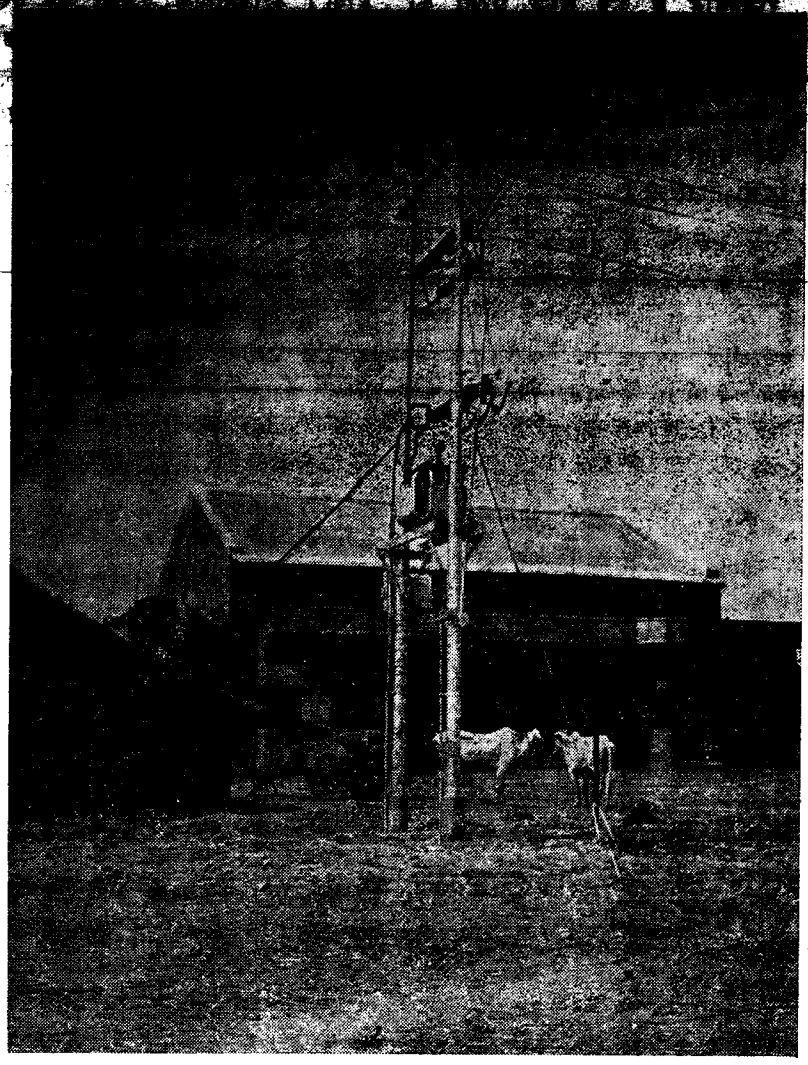

राजस्थान का विकास उसके गांव के विकास पर ही आधारित हो सकता है। राजस्थान के गांवों में विद्युतीकरण से आर्थिक और सामाजिक परिवेश बदलेगा। परन्तु यहां यह देखना होगा कि राजस्थान में विद्युत् के स्रोत क्या हैं? इस सम्बन्ध में चम्बल घाटी योजना की चर्चा आवश्यक होगी। चम्बल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्यप्रदेश का संयुक्त प्रयास है। इस परियोजना के विचार का सूत्रपात सन् 1943 में हुआ। परन्तु प्रथम स्टज का कार्यारम्भ सन् 1953 में किया गया। सर्वप्रथम कोटा बैराज और गांधी सागर बांध का कार्य शुरु हुआ। गांधी सागर पर चार 23 मेगावाट के तथा एक 27 मेगावाट विद्युत् उत्पादन करने वाले जेनरेटर लगे हुए हैं। दूसरा स्टेज कोटा से 30 मील दूर रावतभाटा पर निर्मित राणा प्रताप सागर है जहां 43 मेगावाट क्षमता वाले चार जेनरेटर 1968 से विद्युत् पैदा कर रहे हैं। तीसरा स्टेज जवाहर सागर बांध का है जिसके तीन जेनरेटरों की प्रत्येक की क्षमता 33 मेगावाट है। इन सभी की संयुक्त क्षमता 390 मेगावाट है और राजस्थान सरकार ने 2671 लाख रु० की इन पर राशि खर्च की है।

इनके अतिरिक्त, रावत भाटा स्थित परमाणु विद्युत् गृह से 220 मेगावाट की प्रत्येक दो इकाइयां विद्युत् पैदा करती हैं। प्रथम इकाई 1972 से उत्पादन में लगी है।

विद्युत् शक्ति के इस भंडार को गांवों तक पहुंचाकर किस प्रकार गांवों की काया को पलटा जा सकता है? बिजली विकास का महत्वपूर्ण आधार है और कृषि-प्रधान एवं ग्रामीण-आबादी वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाकर विद्युत् शक्ति से आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है।

बदले हुए कृषि उत्पादन के तरीकों और उन्नत विधियों की चर्चा में पानी, बीज और खाद के साथ-साथ विद्युत् का प्रमुख स्थान माना जाना चाहिए। विद्युतीकरण से सिंचाई के काम को बढ़ाया जा सकता है। एक के बजाय किसान कई फसलों का लाभ उठा सकता है और मानसून की गुलामी से उसे मुक्त किया जा सकता है। विद्युत् शक्ति से ग्रामीण उद्योगों का भी विकास होगा। लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा होगा और अन्ततः शहरों, गांवों के बीच का अन्तर घटेगा। विद्युत् से किसान और उसके पशुओं के श्रम की कठोरता भी कम होगी।

कुछ किसानों का मत था कि यह इस परियोजना से उनकी गायों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उनकी आने-वाली नस्ल कमजोर और क्षीण होगी तथा इससे महामारी फैलने का भी डर हो सकता है। कुछ किसानों को इस बात का भी भय था कि अधिक मृत्यु दर के कारण उन्हें अपनी गायों से हाथ धोना पड़ेगा इसलिए उन्होंने बैठकों में आने से भी मना कर दिया। जब अधिकारी और कर्मचारीगण उनके भ्रम को दूर करने के लिए घर-घर गए तो उन्होंने उनके घर के दरवाजों को बन्द पाया। अंत में धैर्य की जीत हुई और कर्मचारियों का सतत प्रयास सफल रहा।

अवरोध समाप्त

आज उमरखेड़ केन्द्र में लगभग 41 गांवों के दो हजार किसानों से अधिक तथा धनकी केन्द्र में 21 गांवों के 233 परिवारों के नाम पंजीकृत हैं।

धनकी केन्द्र में 68 साधारण नस्ल की गायों से 33 बछियों और 35 बछड़ों को जन्म दिया है। अधिकतर बछिया आदिवासियों और बंजारा जाति के लोगों की हैं। एक गरीब कुम्हार का शंकर नस्ल का बछड़ा आजकल केन्द्र का आकर्षण बना हुआ है। इसकी कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस एक ही उदाहरण से कई किसानों को आगे-जाने में प्रेरणा मिली है।

कर्मचारियों ने किसानों की इस गलत धारणा को भी दूर कर दिया कि कृत्रिम गर्भादान से केवल बछियों की ही नस्ल अच्छी होती है न कि बछड़ों की। यह सच है कि शंकर नस्ल के बैल इतने अच्छे नहीं होते जितने कि साधारण नस्ल के बैल होते हैं। दौड़ प्रतियोगिता में भी इनकी अपेक्षा साधारण नस्ल के बैल ही अच्छे सिद्ध होते हैं। किन्तु किसान यह जरूर महसूस करते हैं कि सामान ढोने और कृषि कार्यों के लिए शंकर नस्ल के बैल साधारण नस्ल के बैलों से कम नहीं हैं।

पालसी गांव के रहने वाले श्री जलबाजी काम्बले ने बताया "इस योजना के कारण ही जिन्दगी में पहली बार मुझे आज जमीन खरीदने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। खेती के लिए जमीन खरीदने की मेरी इच्छा बहुत पहले से थी। लेकिन पैसे की कमी के कारण ऐसा न हो सका। मैंने शंकर नस्ल के बछड़ों की बिक्री द्वारा पैसा प्राप्त करने की सोची और मैं आश्चर्यचकित हूं कि मुझे आवश्यकता से अधिक धन राशि प्राप्त हुई। मेरा खेती की जमीन का मालिक बनने का स्वप्न साकार हो गया।" विट्टर गांव के श्री नारायण ठकरे और कृष्णपुर के श्री वमन इंगले की भी यही कहानी है।

सुधरी नसल

इस योजना का लाभ उठाने वाले किसानों का मत है कि शंकर नस्ल के पशु शीघ्र ही नए मौसम और जलवायु के अभ्यस्त हो जाते हैं और उनका स्वास्थ्य बिगड़ने का खतरा नहीं रहता। उन्हें किसी विशेष किस्म के चारे की भी जरूरत नहीं होती। अगर चारा पौष्टिक तत्वों वाला और संतुलित है तो जर्सी नस्ल की गाय प्रतिदिन 10 से 15 लिटर तक दूध दे सकती है जबकि साधारण नस्ल की गाय केवल एक से तीन लिटर तक ही दूध देती है। जिन किसानों के पास शंकर नस्ल के पशु हैं उनकी वार्षिक आय में आठ गुना वृद्धि हुई है।

इस योजना का अगला चरण शीघ्र ही शुरु होने वाला है। लोग इसका बड़ी बेताबी से इन्तजार कर रहे हैं। इस अवधि में अधिक से अधिक कृत्रिम गर्भाधान हो जाने की आशा है। इससे दुग्ध उत्पादन में भारी सफलता मिलेगी।

चमकती बिजुरिया

चमकी बिजुरिया श्याम घिर आई बदरी।
सगरी-रात-अन्धेरी,
—टेढ़ी-मेढ़ी, डगरी,
छेरो न श्याम मोहि, छलक रही गगरी।
चमकी बिजुरिया, श्याम घिर आई बदरी।
गउवां की गोरी,
संग नहीं मोरी,
कदम की छांव में, बजाओ नहीं बंसुरी।
चमकी बिजुरिया श्याम घिर आई बदरी।
नदिया के तीरे-तीरे,
गऊवा धीरे-धीरे,
खोजत श्याम तुम्हें, वन-वन सगरी।
चमकी बिजुरिया श्याम, घिर आई बदरी।
फूलों से रात सजी।
जुगनू बरात चली।
लहर-लहर जाये मोरी, रंगभरी चुनरी।
चमकी बिजुरिया श्याम, घिर आई बदरी।

बनवारी लाल ऊपर वैश्य

छठवीं पंचवर्षीय योजना और बेरोजगारी

डा० हेमचन्द जैन

देश ने अब तक योजनाबद्ध आर्थिक विकास के 27 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस अवधि में चार पंचवर्षीय योजनाएं, तीन वार्षिक योजनाएं और एक चार वर्षीय योजना (पांचवीं योजना) को कार्यान्वित किया गया है। योजना को अधिक व्यवहार-परक बनाने के लिए 1 अप्रैल 1978 से, छठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गई है।

छठवीं योजना में 5 वर्षों की अवधि (वर्ष 78 से वर्ष 83) के लिए 1,16,240 करोड़ रुपये परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इस योजना का वित्तीय आकार अभी तक की सभी योजनाओं के कुल व्यय के आकार के लगभग बराबर है। दूसरे अर्थ में, आगामी 5 वर्षों में जितने व्यय करने की परिकल्पना की गई है, उतना वित्तीय परिव्यय पिछले 27 वर्षों में किया गया था। इस कारण से, यह आशा की जा सकती है कि वर्तमान योजनावधि में आर्थिक विकास की वृद्धि दर को त्वरित करने, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने और आर्थिक समानता तथा सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लक्ष्यों को व्यापक एवं संभावित स्तर प्राप्त करने में मदद मिल सकेगी।

वर्तमान पंचवर्षीय योजना के क्रमशः तीन मूल उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है कि आगामी दस वर्षों में बेरोजगारी तथा अपूर्ण-रोजगारी का उन्मूलन करना है। इसके अतिरिक्त अन्य दो मूल उद्देश्य हैं:—निर्धनता की रेखा से नीचे के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए ठोस उपाय अपनाना और गांवों में रहने वाले गरीब तथा भूमिहीनों के लिए कुछ आधारभूत आवश्यकताओं तथा सार्वजनिक सुविधाओं जैसे शुद्ध पेयजल, प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण सड़कें और मकान तथा शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए न्यूनतम सेवाओं को उपलब्ध कराना।

योजना में अधिकाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रारूप में रोजगार संरचना प्रमुखतः तीन तथ्यों पर आधारित की गई है।

(1) रोजगार गहन क्षेत्रीय योजनाएं अपनाना,

(2) रोजगार संरक्षण तथा संवर्धन के लिए प्राविधिक परिवर्तन को नियंत्रित करना, और

(3) पूर्ण रोजगार प्रदान करने के लिए एरिया प्लानिंग को प्रोत्साहित करना।

इसके अतिरिक्त, सिंचित खेती के विस्तार के द्वारा तथा विस्तृत किए गए सहायक क्षेत्रों जैसे डेयरी, वन और मछली आदि से प्रचुर मात्रा में लोगों को काम मिल सकेगा। योजना अवस्थापना और सामाजिक सेवाओं जैसे सड़क निर्माण, विद्युतीकरण, जल–पूर्ति, ग्रामीण स्कूलों और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा तथा गरीबों के उपयोग में वृद्धि से भी अतिरिक्त लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। सिंचाई, विद्युत् और गृह निर्माण कार्यक्रमों से निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होने से, रोजगार के अवसरों में विस्तार हो सकेगा। श्रम प्रधान तकनीकी तथा कुछ चुनिन्दा क्षेत्रों में तथा लघु व कुटीर उद्योगों में अधिक विनियोजन तथा अधिक उत्पादन के लक्ष्य से भी रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी।

छठवीं योजना में प्रस्तावित विनियोग एवं उत्पादन लक्ष्यों तथा अन्य उपायों के कारण रोजगार के अवसरों में 5.3 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि की आशा है, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल योजनावधि में बढ़े हुए बेरोजगारों को भी खपा लिया जाएगा बल्कि पुराने बेरोजगारों के पर्याप्त भाग को खपा लेने में भी सफलता मिलेगी। कृषि में 3.98 प्रतिशत प्रति वर्ष के विकास का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसके कारण बेरोजगार की 50 प्रतिशत क्षमता कृषि में पैदा होगी और लघु उद्योगों, संगठित क्षेत्र तथा सेवाओं से शेष लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर सभी प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, इस अवधि में, मानव वर्षों के आधार पर लगभग 4.927 करोड़ लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो सकेगी। इससे न केवल 1978-83 की अवधि में श्रम शक्ति में अनुमानित 3 करोड़ लोगों की वृद्धि को रोजगार मिल सकेगा बल्कि पिछले बेरोजगारों को बड़ी संख्या में रोजगार दिया जा सकेगा।

रोजगारोन्मुख छठवीं योजना की विकास संरचना एवं निर्धारित प्राथमिकताओं के फलस्वरूप, देश में मौजूदा बेकारी एवं अपूर्ण-रोजगार की समस्या को कम करने की आशा है तथा दस वर्षों में बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन हो सकेगा।

कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रक्षेत्र–प्रबंध विभाग,
कृषि महाविद्यालय, जबलपुर–4

मजदूरों के बच्चों

का सहारा :

मोबाइल क्रैश

नीरा गर्ग

ई मां देख तो कितनी ऊंची इमारत है। कैसे चढ़त होंगे जा पै। टांग पिरा जात होंगी। मां का आज कुई मेला ए जा ढिग। जा सगरे कां कू भाग जात हैं मां कहां कू। कौन बनावत होएगा जे बड़ी-बड़ी बिल्डिगें, विकास मीनार को देख कनुआ मां को आश्चर्य से झझोड़े डाल रहा था।

काहे पागल भयो जात है। ई बिल्डिग हम ही बनावत हैं हम ही। तू पहरी बार गांव में आयो है अब ही तो भतेरी बिल्डिग देखबा करेगा। जे ऊंचे-ऊंचे रंगीन फव्वारे। बड़े ठंडे बाजार ऐसे चिकने जा पै मक्खी भी बैठते ही फिसल जाय। रात में भी दिन जैसो लगे है यहां।' कनुआ की मजदूर मां बोली।

दस बरस का कनुआ बात काटते हुए बोला—तु बना बेगी जे बिल्डिग। बाबरो बनावे है। गांव में तो कनस्तरे सीधे कर-करके छत बनावै बा पै धरगी ईंट। नै कूं जोर की हवा चले तो उड़ जाएं सगरे गांव में क्यों न बनाई तैने पक्की छत। मां हतप्रभ थी। मैं भी उपन्यास पढ़ते-पढ़ते चौंक पड़ी थी। पता नहीं बस में बैठे और यात्री चौंके या नहीं इस भीषण व्यवस्था के प्रश्न पर।

घर बनाने वाला बेघर है। बड़ी बड़ी बिल्डिगें बनाते, बस्तियां बसाते ये मजदूर टोलियां, वहीं टीन टपरे डालते बड़े-बड़े भवनों के आस-पास नजर आ जाएंगे। भवन निर्माण होते ही भवन इनकी पहुंच से बहुत दूर हो जाता है। जो भवन इनकी मेहनत का फल होते हैं वही इनके प्रवेश के लिए निषिद्ध हो जाते हैं। याद आता है वह अभिशप्त बात जिसने बेटी को पढ़ा लिखा कर मानवी बनाने की कोशिश की थी और बेटी ने ग्रेजुएट होते ही पिता को नौकर बता दिया था अपनी सखियों से।

इंजीनियरिंग का सारा कमाल मोहताज है इस परिश्रमी वर्ग का लेकिन फिर भी दिहाड़ी इनको पूरे दिन कठोर परिश्रम के बाद ही मिलती है केवल छः रुपये। दो रु० ठेकेदार बीच में ही उदरस्थ कर जाते हैं।

सबसे ज्यादा आश्चर्य तभी होता है जब देखते हैं, हजारों की संख्या में मजदूर परिवार पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश को छोड़कर महा-नगरों की ओर भागे चले जा रहे हैं। एक प्रश्न रह रह कर चीख उठता है आखिर कौन आकर्षण इन्हें इस तरह महा नगरों की ओर खींचता है। जहां इन्हें ढेरों मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सभ्यता की नींव धरने वाले ये मजदूर ही असभ्य, गंवार और कुछ हद तक अविकसित गिने जाते हैं। यहां इनको शौच से निवृत्त होने के लिए भारी कशमकश करनी पड़ती है। जब ये इधर उधर बैठते हैं तो जंगली कहे जाते हैं पर इनके लिए शौच स्थान बने ही नहीं होते जहां ये काम कर रहे होते हैं। भवन निर्माता सिर्फ झोंपड़ी ईंट लगवा कर डाल देता है। बच्चों की शिक्षा की ओर क्या कहें, लालन-पालन और सुरक्षा की ही अच्छी खासी मुसीबत होती है। रोड़ी मिट्टी और धूप, वर्षा, ठंड झेलते मरते खिपते बड़े होते हैं। काम के अस्थायी होने के कारण कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह।

क्या पाया है इन्होंने सभ्यता की नींव रखकर सिवाय तिरस्कार के।

लेकिन एक देवी भी थी श्रीमती मीरा महादेवन गांधी जी की सच्ची अनुयायिनी तभी तो गांधी जी अपनी जयन्ती पर गांधी दर्शन के निर्माण स्थल पर गांधी की आत्मा ने मीरा जी को संदेश दिया एक ठंड से ठिठुरते मजदूर बच्चे के माध्यम से। मीराजी ने 1969 में तब पहला 'मोबाइल क्रैश' ऐसे ही मजदूरों के लिए खोला जो इनके साथ भ्रमण करता है। ये क्रैश न केवल मां के शिक्षा का प्रबन्ध करते हैं, अपितु मां की काम के समय में बच्चों की देखभाल व मां की तरह बच्चे के स्वास्थ्य व आहार का भी ख्याल रखते हैं। उन्हें कला की शिक्षा देते जो भविष्य में उनकी आजीविका का साधन बन सकें। आज ऐसे 108 क्रैश हैं जो कि दिल्ली व बम्बई महानगरों में खोले जा चुके हैं। 117 बच्चे इनके निरन्तर संपर्क में आकर पढ़ने जाने लगे हैं। 2056 बच्चों की आज तक इन्होंने देखभाल की है।

यह संस्था न केवल बच्चों का ही ध्यान रखती है वरन मां को भी साफ सुथरा रहने की शिक्षा देती है। गर्भावस्था में उसका ख्याल रखती हैं।

सबसे बड़ी बात इस संस्था ने गोल मार्किट वाले क्रैश में अस्थायी पाखाने बनाएं हैं ताकि ये नियमित आवश्यकता के लिए भी मोहताज न हों। यह इन पाखानों से साफ रहना तो सीखेंगे ही, साथ ही गांव में जाकर इसका प्रचार व प्रसार भी अच्छी तरह करेंगे। कारण गांव वाले सस्ती किस्म के पाखाने बनाने का ढंग अपने भाई-बन्धुओं से जल्दी सीख जाएंगे जोकि अपनी जैसी परिस्थितियों में रह चुके हैं।

यह संस्था इस बात का प्रबन्ध सबसे पहले करती है कि लगातार पानी मिलता रहे इससे साफ रहने की प्रेरणा देना आसान होता है क्योंकि यह उनके बच्चों को साफ रखते हैं तो बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है।

अगर अन्य महानगरों में भी ऐसी क्रैश संस्थाएं खोली जाएं तो बहुत से मजदूरों को सुविधा मिलेगी जिससे शिक्षा का प्रसार होगा देश सचमुच में प्रगति कर सकेगा।

द्वारा डा० र० श० 'व्यथित'
1/6 शांति निकेतन, मोतीबाग,
दिल्ली।

पहला सुख निरोगी काया

मलेरिया और चिकित्सा

वैद्य रघुनन्दन प्रसाद साहू

भारत वर्ष के प्रत्येक हिस्से में मलेरिया का प्रकोप पाया जाता है। यूं तो मलेरिया का रोग साधारणत: होता ही रहता है पर कभी-कभी यह भयंकर रूप में महामारी की भांति भी फैलता है जिसमें हजारों या कभी-कभी लाखों लोग इससे ग्रसित होते देखे जाते हैं। अत: इस रोग को भलीभांति पहचानने और पहचान होने पर इसकी सम्यक् चिकित्सा की जानकारी सर्वसाधारण के लिए आवश्यक है ताकि इसकी उचित समय पर उचित ढंग से चिकित्सा की जा सके।

मलेरिया का बुखार आने से पहले ठण्ड लगती है। बाद में जब बुखार चढ़ता है तो जोरों से सिर में दर्द होता है, जी मचलता है, तथा उल्टी करने की इच्छा होती है। कभी-कभी तो उल्टी पर उल्टी होती है। शरीर में भयंकर दर्द होता है, प्यास लगती है और बेचैनी होती है। रोगी को खाने की इच्छा नहीं होती और उसका मल सूख जाता है।

बुखार के बाद मलेरिया के रोगी को जोरों से पसीना आता है और बुखार उतर कर सामान्य हो जाता है ज्वर के कम होने पर कमजोरी महसूस होती है।

मलेरिया के रोगी के नेत्र लाल हो जाते हैं; जिह्वा रुखी और उसके उपर मल की पपड़ी जमी हुई दिखाई पड़ती है, होंठ के आस पास छोटे-छोटे सफेद या लाल पीले रंग के दाने निकल आते हैं।

चिकित्सा

तुलसी के पत्ते को प्रतिदिन चबाने से मलेरिया होने की संभावना ही नहीं रहती है। यदि इसे चबाना संभव न हो तो इसकी पत्ती या फूल को चाय में उबाल कर पीने से मलेरिया होने की संभावना नहीं रहती है।

जीरा या अजवायन में से किसी एक को चूर्ण बनाकर और 1-2 माशे के रूप में गुड़ के साथ खाने से भी मलेरिया दूर हो जाता है।

परवल की पत्ती, कुटकी, मुलैठी, हर्ड़ और मोथा का बनाया हुआ काढ़ा शीघ्र ही मलेरिया के ज्वर को दूर कर देता है।

धाय का फूल, गिलोय और आंवले का काढ़ा शहद से मीठा करके पीने से मलेरिया का ज्वर दूर होता है।

चौलाई की जड़ को सिर में बांधने से मलेरिया का ज्वर पूर्ण रूप से चला जाता है।

मल्ल सिंदूर आधी रत्ती सुबह और शाम दो बार मधु के साथ चाटने से मलेरिया का ज्वर अवश्य दूर हो जाता है।

सुदर्शन वटी—दो गोली, मृत्युंजय रस की एक गोली और गोरनी भस्म दो रत्ती सुबह शाम दो बार गरम पानी से लेने से लाभ होता है।

मलेरिया को सामान्य रोग नहीं समझना चाहिए। कभी-कभी मस्तिष्क पर इसका असर होने से यह घातक हो जाता है। यह एक प्रकार के मच्छर से पैदा होता है। मच्छरों का प्रजनन गन्दे पानी में होता है। अत: घरों के पास गन्दा पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। मलेरिया से देश का बड़ा आर्थिक नुकसान भी होता है। जब इसका प्रकोप किसानों में होता तो किसानों की फसलें चौपट हो जाती हैं। अत: जरूरी है कि मलेरिया उन्मूलन के लिए सरकार की ओर से भी गांवों में विशेष व्यवस्था की जाए।

जीवन परिभाषा

रामजी पाण्डेय

जीवन परिभाषा पग पग पर आशा
मुस्काती घड़ियां स्वप्निल अभिलाशा।
भावों में कम्पन उद्वेलित गुंजन
अमृतमय वाणी मुस्काता हर क्षण।
सुख-दु:ख को सहना हंसते ही रहना
दु:खियों की सेवा करते ही रहना।
प्राणी को प्यार सम सद्व्यवहार
पल दो पल खुशियां जीवन व्यापार।
अपना पराया सबको भरमाया
दुनियां में तन्हा हर कोई आया।
सबकी है चाह दिल में है आह
भव सागर उफना, पता नहीं थाह।

कहानी

यमराज भये दामाद तो फिर डर काहे का

✻ सरला जैन

सदियों पहले सारस्वतपुर नामक नगर में महाप्रतापी व पराक्रमी राजा वीरवर्मा राज्य करते थे। राजा वीर तो थे ही, साथ ही विद्वान् और समझदार भी थे। पूरे राज्य में प्रजा सुखी थी। चोरी-डाका, लड़ाई-झगड़ा, हड़ताल और उपद्रव नहीं होते थे। सारा शहर साफ-सुथरा रहता था। गन्दगी का कहीं नामोनिशान नहीं था।

राजा वीरवर्मा की इकलौती लड़की थी मालिनी। मालिनी बहुत ही सुन्दर और समझदार थी पर उसने एक अनोखी जिद कर रखी थी कि ब्याह करूंगी तो यमराज से, नहीं तो सारी उमर अनब्याही रहूंगी। मालिनी की माता ने बहुत समझाया, पिताजी ने बहुत लुभाया, भाइयों ने खूब धमकाया पर मालिनी टस से मस नहीं हुई। धीरे-धीरे सारे देश में मालिनी के विचित्र हठ की बात फैल गई और एक दिन नारद जी ने इस विचित्र हठ की बात सुनी तो शीघ्र यमलोक पहुंचकर, "नारायण, नारायण," कहते हुए यमराज से कहा, "यमराज जी अब प्रसन्न हो जाइए, आपके ब्याह के लिए बढ़िया रिश्ता लाया हूं। सारस्वतपुर के राजा वीरवर्मा की इकलौती सुन्दर कन्या मालिनी आपको पति रूप में पाने का हठ किए बैठी है।" यमराज ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, "नारद जी आप मेरा नाम बिगाड़ कर यमराज मत करिए, मेरा नाम है धर्मराज, अतः आप आगे से मुझे धर्मराज कहिएगा।" और इतना कहकर यमराज ने तत्काल चित्रगुप्त को बुलाया और उनसे जल्दी ही अच्छा मुहूर्त निकालने को कहा। चित्रगुप्त जी ने पोथी-पत्रा पढ़कर 15 दिन के बाद की तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमीं विवाह के लिए निश्चित कर दी।

यमराज ने तब नारदजी से कहा, "आप तत्काल सारस्वतपुर जाइए और राजा वीरवर्मा से कहियेगा कि "यद्यपि हमारी कोई विशेष इच्छा नहीं थी पर कन्या की जिद पूरी करने को हम ये ब्याह करेंगे और 15 दिन के बाद वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमीं को 108 गणों की बारात लेकर पहुंच जायेंगे।" यह कहकर उन्होंने कुछ स्वर्णमुद्राएं नारदजी के कमण्डलु में डाल दीं और नारदजी को सारस्वत पुर रवाना किया।

अब काम बचा था 108 गणों के बारात में चलने की सूचना देना और ये गण थे यमराज के साथी अर्थात्, बीमारियां-मलेरिया, पीलिया, मोतीझरा, हैजा, टी० बी०, उल्टी, दस्त जैसी ढेर सारी विचित्र बीमारियां।

यमराज जी ने 108 खास बीमारियों को बुलाया और कहा कि, "आपको यह जानकर खुशी होगी कि आप सब को आज से ठीक पन्द्रहवें दिन मेरे बाराती बनकर पृथ्वी पर चलना है। सारस्वतपुर नगर में 5 दिन तक बारात ठहरेगी, खूब खातिर होगी।"

सारस्वतपुर का नाम सुनना था कि सभी बीमारियों के खिले हुए चेहरे मुर्झा गए और सामूहिक स्वर में आवाज आई, "हम सारस्वतपुर नहीं जाएंगे।"

यमराज जी चौंक गए और उन्होंने पूछा कि, "सारस्वतपुर न जाने का क्या कारण है? आप एक-एक करके आइये और बताइये।" सबसे पहले मलेरिया जी आगे आई और बोली, "महाराज सारस्वतपुर का नगर निगम पूरे नगर को इतना अधिक साफ सुथरा रखता है कि नालियों में मच्छर पनप नहीं पाते। घरों में रहने वाले लोग घर तो साफ रखते ही हैं, रोज शाम को नीम की पत्तियों का धुंआ भी करते हैं। अतः आप ही बताइये जहां मच्छर नहीं होंगे वहां मैं कैसे जा सकती हूं?"

यमराज के पास इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। इतने में पीलिया जी आगे आए और बोले "महाराज, सारस्वतपुर के नागरिक पानी को छानकर, उबालकर, ढक कर रखते हैं और वही पानी पीते हैं। अब आप ही बताइए कि मैं वहां कैसे चल सकता हूं।"

यमराज जवाब सोचें इतने में हैजा जी बोल पड़े, "महाराज वहां के नागरिक न तो बासी खाना खाते हैं, न ही ठेलों पर बिकने वाले कटे हुए फल और गन्दी कुल्फी खाते हैं। अब आप ही बताएं मैं उनके पास कैसे जाऊं?"

हैजे जी की बात खत्म हुई ही थी कि तीनों बहिनें, दाद, खाज और खुजली एक साथ बोल पड़ीं, "सारस्वतपुर के छोटे-छोटे बच्चे भी रोज सुबह साफ पानी से रगड़-रगड़ कर नहाते हैं। धुले हुए कपड़े पहनते हैं। फिर हम उनके पास क्यों जाएं?"

इसी तरह सब बीमारियों ने अपनी-अपनी मजबूरियां बताईं। जैसे-तैसे सरदर्द, जुकाम, खांसी और बुखार जैसी बच्चा बीमारियां बारात में चलीं। परन्तु नगर की स्वच्छता देख कर उनकी भी दाल न गली। उधर सारस्वतपुर में वैशाख शुक्ल पंचमीं को बारात के स्वागत में सारा नगर उमड़ पड़ा। इतनी खातिर हुई कि यमराज जी का बाहन भैंसा तीन क्विंटल रबड़ी पी गया और उसने तीन रात तक खर्राटे भरे।

फेरे पड़ने के बाद यमराज जी ने प्रसन्न होकर वीरवर्मा को बुलाया और कहा कि, "यद्यपि आप मेरे ससुर हैं और बड़े हैं, पर मैं दामाद होने के कारण श्रेष्ठ हूं। पांच दिन की आपकी खातिरदारी से मेरा रोम-रोम तृप्त हो गया है, अतः आप मनचाहा वरदान मांगिए।"

चतुर वीरवर्मा ने नतमस्तक होकर कहा, "आप दामाद बन गए और मुझे क्या चाहिए? बस इतनी ही कृपा करिए कि मेरा नगर आपका कोप भाजन न बने।"

28/2 वल्लभनगर
इन्दौर-452003 म० प्र०

भारत के चमत्कारी साधु-संत—लेखिका—माया वालसे प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्स : कश्मीरी गेट, दिल्ली मूल्य : बारह रुपये । पृष्ठ संख्या 200 ।

अनेक पुरुषों, महापुरुषों और साधु-संतों ने अपनी अपनी सामर्थ्य से मानव की सृष्टि और सृष्टिकर्ता संबंधी जिज्ञासाओं का आदिकाल से ही निवारण किया है। इन्हीं महापुरुषों के चमत्कारों से संबंधित पुस्तकें आजकल बाजार में बहुतायत से बिक रही हैं। 'भारत के चमत्कारी साधु-संत' में 'माया बालसे' ने आज विख्यात साधु-संतों जैसे सांई बाबा, नारायण बाबा, बर्शार बाबा तथा कुछ अन्य स्त्री-पुरुष जिन्हें दिव्य-शक्ति प्राप्त है, उनके जीवन वृत्त और चमत्कारों को प्रस्तुत किया है।

प्रारंभ में कुछ पृष्ठ पढ़ कर ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः लेखिका कुछ नवीन तथ्य अपनी खोज के द्वारा प्रस्तुत करेगी परन्तु पूरी पुस्तक पढ़ जाने पर केवल निराशा और खेद ही हाथ लगता है। पाठकों में न तो साधु-संतों के प्रति आस्था जाग्रत होती है और न चमत्कारों के प्रति अविश्वास या विद्रोह। प्रकाशक का यह दावा कि "माया बालसे ने अनेक भ्रान्तियों को दूर करके इन चमत्कारी पुरुषों का सफल और सहानुभूति पूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है" पुस्तक के कथ्य से विपरीत हो जाता है।

पुस्तक में मुद्रण की अशुद्धियां बहुत हैं जो कहीं-कहीं भ्रम उत्पन्न करती हैं। अंत तक पाठक कुछ पाने की आशा में पुस्तक पढ़ता है क्योंकि एक बार प्रारंभ करके छोड़ना संभव नहीं है। लेखिका किस्सागोई की दृष्टि से सफल है, अन्यथा वर्तमान वैज्ञानिक युग में इस प्रकार की पुस्तकों के द्वारा कोई उपलब्धि सामने नहीं आती।

रचना नारायण

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर : प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, मूल लेखक : रवीन्द्रनाथ ठाकुर । अनुवादक : धन्यकुमार जैन, मूल्य: तीन रुपये, पृष्ठ संख्या-39 ।

प्रस्तुत पुस्तक ईश्वर चन्द्र विद्यासागर भारतीय मनीषी, भारतीय संस्कृति के प्रस्तोता तथा भारत के समाज सृष्टा और भावी संस्कृति के प्रेरणा स्रोत, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत करती है। गुरुवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस महान आत्मा का सुन्दर वर्णन किया है। विद्यासागर सचमुच विद्या के सागर थे और उनके चरित्र रूपी सागर में उनकी मां ने अपनी उदारता, ममता, त्याग, सहिष्णुता, कार्यकुशलता तथा निर्भीकता से अनेक रत्न भर दिये थे। इसी कारण बंगाल का यह अमर विद्वान् देश की राजनीतिक, सामजिक एवं आर्थिक समस्याओं को समझने तथा समाधान प्रस्तुत करने में सफल हो सका। स्त्री-शिक्षा एवं विधवा विवाह जैसी ज्वलंत समस्याओं से जूझने की शक्ति ईश्वर चन्द्र को अपनी मां से ही मिली थी। वृक्ष, लताऐं, पशु-पक्षी सभी जीवन धारण करते हैं परन्तु वास्तविक रूप से जीवित वे ही होते हैं जो मनन के द्वारा जीवित रहते हैं। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आजीवन मनन क्रिया में संलग्न रहे और अपने मन को मथ कर अनेक मोती उन्होंने विश्व को दिए।

अनुवादक श्री धन्यकुमार जैन ने पुस्तक का सरल भाषा में अनुवाद करके बच्चों के लिए आदर्श पुस्तक की रचना की है। इस प्रकार की पुस्तक के प्रकाशन के लिए प्रकाशक बधाई का पात्र है।

कु० अनुपमा

मानव छला गया : उपन्यासकार : मनमोहन सहगल प्रकाशक : सन्मार्ग प्रकाशन, बैंग्लोरोड, दिल्ली-110007 मूल्य : पन्द्रह रुपये, पृष्ठ संख्या : 192 ।

'मानव छला गया' उपन्यास का आधार 'स्कन्ध पुराण' तथा श्री वृहन्नारदीय पुराण' है। देवलोक भृगुवंशीय ओर्व के उत्ताप से जब त्रस्त हो उठता है तो देव पूजा देवाधिदेव पद्मनाभ की शरण में जाकर रक्षा की याचना करती है। भोग विलास से शक्तिहत देवता कभी निष्प्राण न होने वाले शक्ति पुजारी ओर्व का सामना करने में असमर्थ हैं। इसलिए षडयंत्र के द्वारा पद्मनाभ ओर्व को देवलोक से निष्कासित करते हैं। ओर्व भी देवलोक छोड़ने की कठिन शर्त प्रस्तुत करता है—"मैं किसी घोड़े हाथी पर तो जा नहीं सकता। मेरा भार वहन करने की शक्ति तो केवल कुंवारी कन्या में ही संभव है। गरिमा ही गरिमा को सहन कर सकती है।" पर देवलोक में कुंवारी कन्या ढूंढ पाना ही असंभव था, क्योंकि देवताओं की भोग नगरी में विलासी, काम-लोलुप पद्मनाभ प्रयत्न-शील रहते हैं और ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती को शुभ-सुयोग्य कन्या मान सर्व सम्मति से ओर्व के साथ विदा कर देते हैं।

सरस्वती तथा ओर्व के प्रयत्नों से देवलोक की भांति पृथ्वी पर भी भोग विलास, मदिरा पान, परस्त्री गमन बढ़

गया और इसी के साथ शान्त प्रजा में ईर्ष्या, द्वेष तनाव एवं संबंधों का अलगाव उत्पन्न होने लगा। देवगण अपने षड्यंत्र में सफल रहे क्योंकि मानव की श्रम-साधना और मृत्युंजयी शक्ति का उन्हें भय नहीं रहा। सरस्वती ने मार्कण्डेय को युग युग के लिए सुरक्षित कर दिया और इस प्रकार देवाधिदेव के षड्यंत्र से मानव छला गया।

उपन्यासकार ने आज के संदर्भ में इस पौराणिक कथा को देखने का प्रयास किया है। आधुनिक युग के धनाधिप भी इसी षड्यंत्र में रहते हैं कि श्रमिक वर्ग सामाजिक एवं वैचारिक विवादों में उलझे रहें और वे पूंजी के ट्रस्टी बने देवगणों के समान सुख सुविधाओं का भोग करते रहें। उपन्यासकार ने पौराणिक कथानक लेकर आधुनिक दृष्टि से उसका मूल्यांकन किया है। देवताओं के प्रति मनुष्य के मन में गहरी अनास्था और अविश्वास उत्पन्न करने में लेखक सफल है। सरस्वती का जो पुंश्चली रूप सामने आता है वह विश्वसनीय नहीं प्रतीत होता। सरस्वती और और्व दोनों ही अंत में अपने कार्यों के प्रति पाश्चाताप करते हैं।

भाषा कहीं-कहीं पर बोझिल सी है पर देवलोक के पात्रों के अनुकूल है। देव समाज के भोग विलास के भवनों में आधुनिक समाज के रास-रंग के दृश्य दिखाई देते हैं। मानव ने देवताओं का अनुकरण किया है इसी कारण आज की सभ्यता भोग विलासमयी हो गई है।

पौराणिक कथा में प्रतीकात्मकता भी दिखाई देती है। क्षुब्ध, अमर्यादित तथा प्रतिहिंसा से जलती मानव जाति अब सरस्वती तथा और्व से बदला लेना चाहती है तो सरस्वती कौतुक के द्वारा ही दोनों को बचाती है। पूजा की पकड़ से बचने के लिए सरस्वती अपने को जलप्रवाह में परिवर्तित कर लेती है और बहने लगती है। सरस्वती पर आसक्त, अनुरक्त मार्कण्डेय भी सरस्वती को पकड़ने के लिए भागते हैं।

मार्कण्डेय के चरित्र द्वारा उपन्यासकार ने सिद्ध किया है कि मानव हारा नहीं है, छला गया है। प्रेम के प्रतीक के रूप में आज भी मार्कण्डेय और सरस्वती धारा पृथ्वी पर विद्यमान हैं जो देवताओं के छल-कपट तथा मानव के विनम्र समर्पण का प्रतीक मानी जा सकती है।

डा० मंजुलता सिंह,

श्री कृष्ण कथा : लेखक : श्री सीताराम चतुर्वेदी, प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, मूल्य : आठ रूपये।

भारत को गर्व है कि इसकी पावन वसुन्धरा पर राम, कृष्ण, गौतम और गांधी जैसे महामानव अवतरित हुए जिनकी कीर्ति व ज्ञान के आलोक स्तम्भ सदैव विश्व का मार्ग-दर्शन करते रहेंगे। इन में से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके चरित्र के नाना गुणों ने तो रसखान जैसे अहिन्दुओं को भी रस विभोर कर दिया कि वे अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर करने को तैयार हो गए और महाकवि सूर ने तो श्री कृष्ण की बाल छवियों को इतनी सूक्ष्म दृष्टि से व्यक्त किया है कि वात्सल्य भाव को ही रस कोटि पर पहुंचा दिया और विश्व में शायद ही कोई उनके समासीन हो पाये। लोकरंजक रूप के अतिरिक्त श्री कृष्ण का लोक रक्षक और कर्मयोगी या योगीराज का भी एक रूप है जिसने हमें 'गीता' जैसा दुर्लभ ग्रंथ प्रदान किया और यही रूप हमारी भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। आधुनिकता और भौतिकता की दौड़ में जब युवा पीढ़ी ही इस संस्कृति को भूलती जा रही है तो देश के भावी कर्णधार बालक तो इस सम्बन्ध में कुछ भी जानने से असमर्थ रहेंगे। ऐसे में विद्वान लेखक 'श्री सीताराम चतुर्वेदी' ने 'श्री कृष्ण कथा' लिख कर बाल वर्ष के उपलक्ष्य में एक अनूठा उपहार बालकों को प्रदान किया है।

भाषा की दृष्टि से चतुर्वेदी जी ने बहुत समझदारी से काम लिया है। बाल सुलभ, सरल एवं चलती ठेठ मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है जो आद्योपांत जिज्ञासा बनाये रखती है। मुखपृष्ठ बालकों को आकर्षित करता है और इसमें अनेक ऐसे प्रसंगों का समावेश है जो कृष्ण कथा के सम्पूर्ण ज्ञाता भी शायद कम ही जानते होंगे। श्री कृष्ण के लोकरंजक रूप के साथ-साथ उनके लोक रक्षक और निष्काम कर्म की प्रेरणा देने वाले कर्मयोगी रूप का भी चित्रण किया गया है जो बालकों की बहुमुखी प्रतिभा को विकसित करने में सहायक है। वहीं उनका रूप है :—

जा के तन में बल बसै, काहू ते न डराइ।
निज जन की रच्छा करै रिपुजन देत नसाइ।
सो कहीं वही रक्षक, संहारक कृष्ण निर्धन
सुदामा के मित्र बन कर आएं हैं :—
मीत वही आड़ परे, काम आपने आए।
निज कांधे दुख: डारिकै, मीतहि लेई बचाय।

और वही श्री कृष्ण युगों से जन-जन के मन में यह आराध्य मूर्ति बसाए हैं :—

"जिस बंसी से तूने जग जीता
वह रण में बनी भगवद् गीता
वह भक्त को भक्त की भक्ति है
रणवीर को रण की शक्ति है
तुम पुरुष तुम्हारी छाया हो
तुम ब्रह्म तुम्हारी माया हो
भगवान मेरा संताप कट
हर श्वास तुम्हारा नाम रटे"।

इसमें संदेह नहीं कि चतुर्वेदी जी की यह 'श्री कृष्ण कथा' सभी पाठक वर्गों के लिए जिज्ञासात्मक और प्रेरणात्मक कृति है। सफाई, छपाई आदि की दृष्टि से पुस्तक अच्छी बन पड़ी है।

श्रीमती सत्या शर्मा,

केन्द्र के समाचार

हर साल दो लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण

केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्रालय ने हर वर्ष 2 लाख ग्रामीण युवाओं को कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में अपना खुद का काम-धन्धा शुरू करने के लिए प्रशिक्षण देने के एक विशाल कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है। यह "राष्ट्रीय ग्रामीण युवक प्रशिक्षण योजना" पूरे देश के सभी 5 हजार विकास खंडों में शुरू की जाएगी। प्रत्येक खंड में हर साल कम से कम 40 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यह कार्यक्रम इस वर्ष 15 अगस्त से आरम्भ हो गया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को आवश्यक ज्ञान और तकनीक सिखाना है ताकि वे अपने आप कोई रोजगार ढूंढ सकें। प्रशिक्षण के बाद उन्हें अपना काम-धन्धा शुरू करने के लिए सरकार की ओर से उचित सहायता भी दी जाएगी।

प्रशिक्षण पर आने वाला आधा खर्च केन्द्र सरकार और आधा राज्य सरकार वहन करेंगी। यह प्रशिक्षण ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, ग्राम सेविका प्रशिक्षण केन्द्र, किसान प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि तथा अन्य विश्वविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैसी वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाएं तथा अन्य केन्द्रीय व राज्यीय संगठनों के द्वारा दी जाएगी।

प्रशिक्षणार्थियों का चुनाव छोटे तथा सीमांत किसान, भूमिहीन खेतिहर, मजदूरों, कारीगरों, शिल्पियों तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में से किया जाएगा। प्रारम्भ में प्रत्येक परिवार में से केवल एक प्रशिक्षणार्थी चुना जाएगा। चुनाव के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

वर्तमान योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए प्रशिक्षण काल के दौरान हर महीने 100 रु० वजीफे के रूप में देना मंजूर किया है।

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, असम और त्रिपुरा राज्यों को केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए 275 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इसमें से महाराष्ट्र को 155 लाख, असम को 75 लाख और त्रिपुरा को 45 लाख रु० मिलेंगे।

जिन गांवों के आसपास 1.6 कि० मी० की दूरी तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, उन गांवों में पीने का पानी पहुंचाने के लिए यह केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 1977 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की राज्य योजना में निर्धारित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है। केन्द्र सरकार ने 1977–78 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 40 करोड़ रु० और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 78 करोड़ रु० स्वीकृत किए। इसी प्रकार 1978–79 के दौरान क्रमशः 60 करोड़ और 114 करोड़ रु० स्वीकृत किए। चालू वित्त वर्ष के दौरान इन योजनाओं के लिए क्रमशः 80 करोड़ और 150 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

बाल वर्ष में पोषाहार

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष, 1979 के दौरान बच्चों की विशिष्ट आवश्वकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार के खाद्य और पोषाहार बोर्ड ने खाद्य और पोषाहार कार्यक्रम को एक नई दिशा दी है।

दुबारा से तैयार किए गए इस कार्यक्रम में स्कूलों में बच्चों को खाना देने के लिए 40,000 मी० टन "बालाहार" का उत्पादन, प्रोटीन आधारित दूध से मिलता जुलता पेय पदार्थ "मिलटोन" के 30 लाख लीटर का उत्पादन, बच्चों के खाने के लिए अनाज पर आधारित 'बालामूल' के 1000 मी० टन को तैयार करना शामिल है। इसके अतिरिक्त कमजोर वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रोटीन-आधारित पौष्टिक तत्वों वाली 15 लाख लीटर चाय और 1450 लाख डबलरोटियां तैयार की जाएंगी। कार्यक्रम में "मिलटोन" के उत्पादन के लिए तीन अतिरिक्त इकाइयां, शक्तिदायक खाद्य पदार्थों को तैयार करने के लिए कर्नाटक में चार इकाइयां पूरक खाद्य कार्यक्रमों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनाज के सत्त से खाद्य पदार्थों को तैयार करने के लिए विभिन्न राज्यों में छह इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

देश के विभिन्न भागों में इस कार्य के लिए काम कर रही मौजूदा 31 चलती-फिरती इकाइयों में पांच के अतिरिक्त इकाइयां जोड़ी जाएंगी। चलती-फिरती विस्तार इकाइयां, इस वर्ष के दौरान देहाती और शहरी क्षेत्रों में जाएंगी। आदिवासी क्षेत्रों में प्रदर्शन कार्यक्रम पर बल दिया जा रहा है। चलती-फिरती इकाइयां, अन्य बातों के साथ-साथ, स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल

से तैयार पौष्टिक पूरक खाद्य पदार्थों को लोकप्रिय बनाने, उपयुक्त दैनिक आहार लेने के लिए प्रोत्साहन, खाना पकाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देना, घर में फलों के प्रशिक्षण करने के लिए तरीके और, पोषण पर नई जानकारी को बताने का काम करती हैं।

दूध में विटामिन "ए" तत्व को बढ़ाने के लिए दिल्ली में एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। खून की कमी (एनीमिया) की बीमारी को दूर करने के लिए नमक में लौह की मात्रा को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर परीक्षण किए जा रहे हैं।

1964 में खाद्य विभाग में खाद्य और पोषाहार बोर्ड की स्थापना की गई थी। बोर्ड के सदस्यों में भारत सरकार के अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ खाद्य और पोषाहार कार्यक्रम में वैज्ञानिक शामिल हैं। खाद्य और पोषाहार कार्यक्रमों को लागू करने का काम यह बोर्ड करता है।

ग्रामीण विभाग और समाज कल्याण विभागों द्वारा शुरु किए गए कार्यक्रमों के साथ इस नए कार्यक्रम का तालमेल बैठाया जाएगा।

हरियाली के दुश्मन टिड्डी दल

[पृष्ठ 19 का शेषांश]

आक्रमण दोनों तरफ से किया जाता है। युद्ध की तरह कई आक्रमणों का दौर चलता है। सभी दल इस प्रयत्न में रहते हैं कि उनका निशाना खाली न जाए। हवाई जहाज टिड्डी दलों की ऊंचाई का अन्दाजा लगाकर आक्रमण करते हैं। हवाई जहाज की इंजनों की आवाज के साथ आपको समरभूमि की भांति केवल टिड्डियों की ही आवाज सुनाई देगी।

इन छोटे-छोटे टिड्डी दलों की सेनाओं को जीतना इतना आसान नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय कृषि और खाद्य संगठन काफी कुछ कर रहा है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हरियाली के इन दुश्मनों को समाप्त करने के लिए पिछले वर्ष 2 करोड़ 40 लाख डालर खर्च किए गए। लेकिन क्या इतना ही काफी है। निश्चित नहीं। लेकिन प्रयत्न जारी है।

शिवा विद्यार्थी,
नेवादा-बाबतपुर (रे० स्टे०)
वाराणसी-221202 (उ० प्र०)

हमारा कृषि प्रशासन

[पृष्ठ 14 का शेषांश]

है। सन् 78-79 में 27.60 लाख टन मच्छली उत्पादन का अनुमान है।

कृषि प्रशासन में कुछ अन्य तथ्यों का प्रयोग भी शामिल है। यह अनुमान लगाया गया है कि (78-79) की योजना के अन्त तक कृषि वस्तुओं के निर्यात में 31.125 करोड़ रुपए तक की वृद्धि हो सकती है। अतः दीर्घकालीन निर्यात नीति ऐसी बनाई जाए जिसमें गुण नियंत्रण की समुचित व्यवस्था हो। नवीन निर्यात बाजारों का पता लगाया जा सकता है। विदेशों में लोगों की रुचि एवं विदेशी बाजारों में स्पर्धा के लिए कृषि उत्पादनों के बारे में विकास और अनुसंधान की भी जरूरत है। उत्पादकों को बढ़िया माल के उत्पादन और विपणन के लिए परामर्श सेवाएं भी सुलभ करनी चाहिएं। हालांकि अनेक महत्वपूर्ण फसलों को मूल्य-प्रोत्साहन पहले ही दिए जा चुके हैं, परन्तु आने वाले वर्षों में ऐसे प्रोत्साहन एवं मूल्य समर्थन अधिक महत्व के होंगे। योजना के परिव्यय में वृद्धि हुई है। सन् 77-78 में कृषि एवं संबंधीय क्षेत्रों के लिए परिव्यय 1.264 करोड़ रुपए था जो इस वर्ष में 36 प्रतिशत अधिक है। सन् 79-80 का परिव्यय 1.811 करोड़ रुपए है।

इस प्रकार हमारी उपलब्धियां उदाहर्णी है। हमारे पास अभी भी ऐसे अनेक संसाध हैं जिनको अभी तक उपयोग में नहीं लाय गया है। मानवीय और भौतिक दोनों प्रका के ऐसे सभी संसाधनों के उपयोग से संरच को पुदृढ़ बनाकर कृषि की उपज काफी वृद्धि की जा सकती है।

डिपुटी सेक्रेटरी, बैंकिंग डिवीज
वित्तमंत्रालय 209 एशिया हाउ
कस्तूरबा गांधी मार्ग नई-दिल्ली

विश्व बाल वर्ष
1979

विश्व बाल वर्ष 1979 में बच्चों के लिए विशेष पुस्तकें

* **श्री कृष्ण कथा**—ले. सीताराम चतुर्वेदी (गीता के जन्मदाता भगवान श्री कृष्ण की जीवन कथा एक नए रूप में—सरल भाषा में–सचित्र)— रु० 8-00
* **पर्वत देवता**—ले. राधेश्याम शर्मा (संसार की प्रसिद्ध लोक-कथाओं से चुनी हुई 11 मनोरंजक कहानियां-सचित्र)— रु० 5-00
* **असली जीमाकड़े**—ले. विमला मेहता (राजस्थान की चुनी हुई 14 लोक-कथाएं-सचित्र)— रु० 7-50
* **तेन्दुआ और चीता**—ले. रामेश बेदी (तेन्दुआ और उसकी बिरादरी के अन्य जानवरों की विस्तृत व रोचक जानकारी-सचित्र)— रु० 8-00
* **पहेलियां**—संकलनकर्ता: सूर्यनारायण सक्सेना (भारत में प्रचलित 540 पहेलियों का संग्रह)—रु० 7-50

अंग्रेजी में

* **चिल्ड्रन्स महाभारत**
  ले. माथुराम भूतलिंगम– रु० 6-50
* **एडवेन्चर्स आफ ए स्पेस क्राफ्ट**
  ले. मोहन सुन्दर राजन— रु० 10-00
* **थिंग्ज आफ ब्यूटी**
  ले. विद्या दहीजिया — रु० 12-50
* **टू फ़ार-आफ लैंड्स लॉंग एगो**
  ले. कृष्णचैतन्य· रु० 8-00

उर्दू में :–

* **पहेलियां** –स ·शहबाज़ हुसैन
  – नंद किशोर विक्रम रु० 8-00

आगामी प्रकाशन

कहानियां बच्चों के लिए (बंगाली), **टैगोर की कहानियां**, बच्चों के लिए (हिन्दी) उपनिषद की लोक कथाएं (हिन्दी), विश्व की लोक कथाएं (हिन्दी, असमिया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम) आदि।

हमारी सुप्रसिद्ध व लोकप्रिय पत्रिका "बालभारती" (मासिक) के वार्षिक ग्राहकों को 5 रु० या इससे अधिक की पुस्तकें खरीदने पर 20 प्रतिशत छूट—वार्षिक चन्दा 9 रु०।

डाक खर्च मुफ्त। 10 रु० से कम के आदेश पर पंजीकरण शुल्क अतिरिक्त भेजिए। पुस्तकें स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं से लें या सम्पूर्ण बाल साहित्य की जानकारी के लिए लिखें :-

व्यापार व्यवस्थापक
प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

* पटियाला हाउस, नई दिल्ली।
* सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली।
* 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता।
* कामर्स हाउस (दूसरी मंजिल), करीमभाई रोड, बेलर्ड पीयर, बम्बई।
* शास्त्री भवन, 35, हैडोज रोड, मद्रास।
* बिहार स्टेट को-आपरेटिव बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना।
* प्रेस रोड, त्रिवेन्द्रम।

डीएवीपी 79/121

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित 1979।